राजस्थान विधान सभा

बत्तीसवीं बैठक, दिनाङ्क २४ अप्रेल, १९५३

सदन का कार्य प्रातः ८ बजकर २० मिनट पर प्रारम्भ हुआ ।

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तमलाल जोशी, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०१

श्री जयचन्द रेगर—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(१) खांखरिया खेड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के ठाकुर मानसिंह के खिलाफ जनता की क्या कोई शिकायतें सरकार के पास हैं ?

(२) यदि हां, तो क्या कमिश्नर, श्री चोपड़ा ने भी इसकी जांच की है और शिकायतें सही पाई गई हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि ठा० मानसिंह की कार्यवाही के कारण गोठड़ा और गरदाना ग्रामों की बरातों व दुल्हों को अपनी शादी की हुई नवीन वधुओं को छोड़ कर खाली जाना पड़ा ?

(४) क्या सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कदम नहीं ले रही है? यदि नहीं ले रही है तो क्यों और यदि हां, तो क्या ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—१. जी हां, परन्तु कमिश्नर ने कोई खास जांच नहीं की ।

२. जी नहीं, कानून भंग करने में कोई स्वतन्त्र नहीं है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

३. उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दाखल बेजा के सम्बन्ध में एक मुकदमा ज़ेर दफा ४५२/१४८ ताजीरात हिन्द कायम किया गया है । चूंकि मुकदमा विचाराधीन है इसलिये इस संबन्ध में कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

४. ले रही है, जिसको व्यक्त करना सार्वजनिक हित में ठीक नहीं है ।

श्री जयचन्द रेगर--क्या इसमें पुलिस का भी हाथ बताया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मुकदमा विचाराधीन है, इसलिये इसके संबन्ध में ज्यादा कहना उचित नहीं है ।

प्रश्न संख्या ६०१

(प्रश्नकर्ता श्री संग्रामसिंह, वि. सं १३४, की अनुपस्थिति में श्री केसरीसिंह द्वारा प्रश्न पूछा गया)

श्री संग्रामसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जागीरदार सरदारगढ़ को पुलिस वाले, नाजायज धमकी देकर, ठाकुर के गढ़ में रहना चाहते हैं; क्या यह सच है ?

(ख) अगर इसका जवाब हां में है, तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) जी, नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न संख्या ६०२.

श्री रोशनलाल—क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या उदयपुर के महाराणा सा० द्वारा नाहर मगरा, बांकी के रिजर्व जंगल में से वृक्ष काटकर काश्त करना प्रारम्भ किया है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—वर्तमान वर्ष में नाहर मगरा व बाकी के जंगल में वृक्ष काट कर महाराणा साहब उदयपुर ने कोई काश्त नहीं कराई है ।

(अ) जंगल नाहर मगरा में करीब ५० बीघा जमीन महाराणा साहब द्वारा सन् १६४८ में वृक्ष काट कर काश्त कराई गई थी और वह रकबा तब ही से जेर काश्त चला आरहा है ।

(ब) जंगल बांकी में महाराणा साहब उदयपुर द्वारा १६४८ में करीब २०० बीघा जमीन में से करीब १०० बीघा जमीन पर वृक्ष काट कर काश्त कराई गई थी । वह रकबा तब ही से जेर काश्त चला आ रहा है । बकाया जमीन से जंगल कटा कर मकान व मकान के आसपास मैदान बनवाया गया है । इसी जंगल का कुछ भाग सुरा बावडी के नाम से मशहूर है । उसमें करीब चार बीघा जमीन पर उनकी ओर से श्री तेजराम धायभाई काश्त कर रहे हैं ।

श्री रोशनलाल—क्या महाराणा साहब ने जंगल कटवाने से पहले गवर्नमेंट की स्वीकृति ली थी ?

श्री अमृतलाल यादव—यह सन् १६४८ में तत्कालीन सरकार ने उनको निजी संपत्ति के रूप में दे दिया था ।

श्री रोशनलाल—क्या निजी सम्पत्ति में देने के बाद में कोई राजा-महाराजा जंगल से वृक्ष काट सकता है ?

Page No.3

श्री **अमृतलाल यादव**—आज तो ऐसा नहीं है। कुछ कायदे बने हुए हैं इसके लिये, कुछ नियम बने हुए हैं। तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने उस जंगल को पूर्णतया उनके अधिकार में दे दिया था।

श्री **रोशनलाल**—जंगल जो काटे गये थे तो क्या मेवाड़ सरकार की तहत काटे गये थे ?

श्री **अमृतलाल यादव**—जी नहीं।

कर्नल श्री **दिलीपसिंह**—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि नाहर मगरा के अन्दर जंगल काट कर श्री दुर्गावत और श्री अमृतलाल वैद को कुछ जमीन दी गई थी ?

श्री **अमृतलाल यादव**—यह अलग सवाल है। फिर भी जानकारी के लिये कह दूं कि ऐसी कोई जमीन नहीं दी गई।

कर्नल श्री **दिलीपसिंह**—क्या रिजर्व फोरेस्ट फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में नहीं आता।

श्री **अमृतलाल यादव**—रिजर्व फोरेस्ट में से कोई जमीन नहीं दी गई।

श्री **सरदारसिंह**—क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता महोदय ने, जो दरख्त महाराणा साहब ने कटवाये थे उनमें से कुछ दरख्तों की मांग की थी।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री **अध्यक्ष**—श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६०४

(श्री एच. के. व्यास द्वारा अधिकार प्राप्त होने पर श्री अध्यक्ष की आज्ञा से श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़) द्वारा पूछे गये)

श्री **एच. के. व्यास**—Will the Minister-in-charge for Home be pleased to answer :—

(*a*) Is it a fact that some employees of the Reserve Armed Police (Anti-Dacoit Squad) stationed at Sadri misbehaved, abused, tied down and carried one Shri Sagarmal Kesuram to their camp and beat him severely there ?

(*b*) Is it a fact that they lathi-charged and stoned the citizens who came to the camp to rescue Shri Sagarmal Kesuram ?

(*c*) Is it a fact that this incident caused a great stir in the public of Sadri ?

Page No.4

[श्री एच. के. व्यास]

(*d*) Is the Government aware that the Armed Police at Sadri has been running a mock with the honour and dignity of men and women of Sadri ?

(*e*) Has the Government recevied any representation from the public of Sadri in this connection demanding impartial enquiry into the highhandedness of the Armed Police, punishment to the guilty and withdrawal of the Armed Police Camp.

(*f*) What steps has the Government taken in this connection ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—

(*a*) The alleged incident has come to the notice of the Government.

(*b*) First reports received by Government show that the A. D. F. did not resort to lathi charge or throw stones.

(*c*) A resolution alleged to have been passed by the residents of Sadri condemning this incident was received by Government.

(*d*) No. It is not a fact. No other incident with the exception of the one quoted above has been brought to the notice of Government.

(*e*) Yes.

(*f*) An enquiry is being conducted by the D. S. P. Pali into the whole affair. S. P. Pali has personally met Shri Sagarmal and other residents of Sadri. The previous staff of A. F. D. has been transferred.

प्रश्न संख्या १०४

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister-in-charge for Home be pleased to answer :—

(*a*) Is it a fact that there are orders from the I. G. P. for not posting S. Is. and others of higher ranks at the places of their residence ?

(*b*) Is it a fact that this order is not being executed in Jaipur ?

(*c*) Is it a fact that an overwhelming majority of S. Is. and others above them posted in Jaipur belong to Jaipur ?

(*d*) If the answer to (*c*) is in the affirmative, will the Government explain the reasons for this exception ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—

(*a*) Yes. There are some instructions on this subject. The instructions do not amount to rules framed by the Government. They are being enforced on ad-hoc basis.

Page No.5

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

(*b*) Does not arise.

(*c*) No.

(*d*) Does not arise.

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—On a point of Order, Sir, शायद इस पंखे की वजह से जो जवाब माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने दिया वह सुनाई नहीं दिया।

श्री **जवानसिंह**—यह पंखा हमारी तरफ कर दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष**—You want repetition of the answer?

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—यह पंखा हटने के बाद में।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—यह साफा भी थोड़ा ऊंचा कर लें।

श्री **अध्यक्ष**—You will become hot then.

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—क्वेश्चन आवर के बाद में फिर चालू कर दिया जाय।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—(उत्तर दोहराते हुए)

(*a*) Yes. There are some instructions on this subject. The instructions do not amount to rules framed by Government. They are being enforced on an ad-hoc basis.

(*b*) Does not arise.

(*c*) No.

(*d*) Does not arise.

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)**—क्या यह सही नहीं है कि जयपुर शहर में जितने भी सब-इन्सपेक्टर नियुक्त हुए हैं उनमें से २० पर्सेन्ट जयपुर शहर के रहने वाले हैं।

श्री **अध्यक्ष**—The answer is there.

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—२० पर्सेन्ट कोई ओवरव्हेलमिंग मेजोरिटी नहीं होती है। तो भी यह अलग प्रश्न है, इसका जवाब बाद में दे सकता हूं।

प्रश्न संख्या १०६

श्री **रोशनलाल शर्मा**—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.6

[श्री रोशनलाल शर्मा]

(क) उदयपुर के श्री महाराणा साहब को जो जंगल उनके निजी उपयोग में घास, लकड़ी लाने के लिये दिये हैं उनमें से अन्य लोगों को भी घास लकड़ी उन्हें देने का अधिकार है ?

(ख) क्या सरकार ने जंगल महाराणा साहब को घास, लकड़ी की आवश्यकता के लिये दिये हैं, वे उनकी आवश्यकता से अधिक नहीं हैं ? हां, तो क्या सरकार, जो आवश्यकता से अधिक जंगल हैं उन्हें अपने आधीन लेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—(क) अन्य लोगों को घास, लकड़ी देने के अधिकार महाराणा साहब, उदयपुर को प्राप्त नहीं हैं ?

(ख) जंगल महाराणा साहब को नहीं दिये गये हैं। जंगल तो राज्य की मिल्कियत हैं, सिर्फ उन जंगलों में महाराणा साहब को घास और लकड़ी निजी खर्च के लिये लेने के अधिकार हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा—मेरा प्रश्न यह है कि महाराणा साहब को जो जंगल दिये गये हैं उनमें उनकी आवश्यकता से अधिक लकड़ी और घास लेने के भी अधिकार हैं या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—आवश्यकता से अधिक का सवाल नहीं है। जंगल हैं, वे न कम होते हैं और न अधिक। उनमें उन्हें केवल फ्यूल कलेक्ट करने का अधिकार है।

श्री रोशनलाल शर्मा—उन्होंने कुछ लकड़ी जो बेची थी उसकी गवर्नमेन्ट के पास शिकायत आई थी, तो क्या गवर्नमेन्ट ने उसकी जांच की है?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—शिकायत आई थी तो उसकी जांच हो रही है और उसकी कार्यवाही की जा रही है।

श्री रोशनलाल शर्मा—वह जांच कब तक खतम हो जावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—अति शीघ्र ही।

श्री रोशनलाल शर्मा—"अति शीघ्र ही" का क्या मतलब है ? क्या एक वर्ष ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—नहीं।

श्री रोशनलाल शर्मा—कितना ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—"अति शीघ्र ही" की कोई सीमा नहीं होती है।

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या इसको एक वर्ष मान लिया जाय ? क्योंकि ३ महीने पहले भी आपने उत्तर दिया था कि जांच हो रही है ?

Page No.7

श्री **अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)**—अगर आपको संतोष हो तो एक वर्ष मान लें। एक वर्ष भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है।

श्री **सरदारसिंह**—मन्त्री महोदय से प्रश्नकर्ता ने यह सवाल किया है कि उदयपुर महाराणा साहब को जो जंगल उनके निजी उपयोग के लिये घास-लकड़ी के लिये दिया गया है उनमे अन्य लोगों को भी घास-लकड़ी देने का उन्हें अधिकार है, तो इस 'अन्य' से क्या मतलब है ?

श्री **अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)**—यह भी क्या मुझे बताना पड़ेगा ?

श्री **अध्यक्ष**—Do the Hon'ble Members want to partake in that ? Next.

(विराम)

प्रश्न संख्या ६०७

श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री धर्मपाल।

प्रश्न संख्या ६०८

श्री **धर्मपाल**—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गृह मन्त्री के ध्यान में कोई ऐसी शिकायत आई है कि तहसील श्री डूंगरगढ़ के किसी गांव में हरिजनों के कूए में सवर्ण हिन्दू भाइयों ने नाराज होकर मरे हुए पशुओं के हाड़ डाल दिये हैं ?

(२) यदि यह बात सच है तो सरकार इस प्रकार के हरिजनों पर हो रहे अमानुषिक अत्याचारों को रोकने के लिये क्या प्रगतिशील कदम उठा रही है ?

(३) क्या इस प्रकार की घटनायें और भी किसी जिले में हुई हैं ?

(४) यदि हुई हैं, तो क्या सरकार इस प्रकार के सवर्ण-अवर्ण के बढ़ते हुए भेद-भाव को कम करने के लिये व आपस में प्रेम-भावना को बनाये रखने के लिये विचार कर रही है ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—(१) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं है ?

(२) और भी किसी जिले में एसी घटनाओं की सूचना सरकार को नहीं है।

श्री **धर्मपाल**—क्या लूनकनसर तहसील की कोई शिकायत आपके पास आई है।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)**—यह एक अलग प्रश्न है।

Page No.8

प्रश्न संख्या ६०६

श्री अध्यक्ष—श्री संतोष सिंह कछवाहा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६१०

श्री धर्मपाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि गंगानगर जिले की तहसील हनुमानगढ़ के तलवाड़ा ग्राम में किसी जागीरदार ने एक हरिजन को अपनी जमीन से बेदखल करने के लिये कत्ल कर दिया ? क्या सरकार इ की ज च करा रही हूं? यदि जांच हो गई है तो क्या अत्याचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

(२) क्या इसी प्रकार ग्राम दीनगढ़ में भी किसी हरिजन का कत्ल किया गया है ?

(३) क्या तहसील रायसिंहनगर में भी कोई ऐसी कत्ल की घटनायें हुई हैं ?

(४) सरकार इन निरपराध गरीब हरिजनों की हत्याओं को रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) जी नहीं, कत्ल नहीं हुआ । एक किसी दीपा नाम के हरिजन की मृत्यु हुई थी, जांच करने पर आत्महत्या निकली ।

(२) दीनगढ़ गांव के जंगल में एक हरिजन की लाश मिली । उसके लिये धारा ३०२ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत मुकद्मा दर्ज कर लिया गया है, किन्तु अपराधी व हत्या के कारणों का कोई पता नहीं चला है । एस. पी. हनुमानगढ़ इस केस की तफतीश कर र हैं ।

(३) जी नहीं ।

(४) उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री धर्मपाल—क्या यह सत्य है कि गांव के लोगों ने एक मकान के सिलसिले में क़त्ल किया, दीनगढ़ वाले में ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—आपके प्रश्न के पहले भाग से यह आपका सप्लीमेन्ट्री ताल्लुक रखता है या दूसरे से?

श्री धर्मपाल—दूसरे से ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—दूसरे में तो मैंने कहा है कि एक मृत लाश पाई गई है । यह भी मंजूर किया है कि धारा ३०२ का मुक़द्मा दायर किया गया है ।

श्री धर्मपाल—क्या हनुमानगढ़ में ऐसी घटना नहीं हुई कि उसको मार दिया गया है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैंने कहा है कि वह आत्महत्या का केस मालूम हुआ था। मेडिकल जांच करने से मालूम हुआ है कि मरने के बाद में फांसी नहीं दी गई है, बल्कि उसने मरने से पहले फांसी खाई है और यह भी मालूम हुआ है कि जो वहां यह कहा गया है कि २ आदमियों के पांवों और घोड़ों के निशान वहां पर मिले थे, लेकिन खोज से पता चला किसी और के पाव नहीं थे, केवल एक आदमी के ही पाये गये हैं। ऐसी हालत में उसके खुद के फांसी खाने की ज्यादा संभावना है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि यहां जागीरदार का सवाल कैसे आया जब कि वह कोई जागीर एरिया नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जागीरदार को खालसा एरिया में घटना करने से कोई रोकता नहीं है ?

श्री जसवन्तसिंह—जागीरदार अगर अपने एरिया में ऐसा काम करे तो उसके लिये कहा जा सकता है, लेकिन चारों तरफ जागीरदारों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—दोषारोपण तो मैंने नहीं किया है। दोषारोपण जो था उसको मैंने माना नहीं ?

श्री सवन्तसिंह—प्रश्नकर्ता ने जो यह कहा है तो इसके लिये अगर जागीर एरिया में ऐसा सवाल होता तो कुछ समझा जा सकता था लेकिन कहीं भी जागीरदारों पर आरोप करना कहां तक वाजिब है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—प्रश्नकर्ता आपको जवाब दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या ६११

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमान् आपको सूचना देने में जरा खेद सा होता है कि अचानक श्री भोगीलाल जी पंड्या को जाना पड़ा है कोटा की तरफ, उनके विभाग से संबन्धित प्रश्नों का उत्तर देना आज मुश्किल होगा।

श्री अध्यक्ष—Any Minister could have replied to it.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—उनके जाने का तय रात में हुआ था, इसलिये दूसरे मिनिस्टरों के पास प्रश्नों के उत्तर नहीं गये हैं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—"खेद" शब्द से जरा हमें डर लगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—प्रश्नों के जवाब मंगाये जा रहे हैं उनके आने पर आपको जवाब देंगे।

(संबन्धित मन्त्री महोदय की अनुपस्थिति के कारण प्रश्न संख्या ६११ का उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.10

प्रश्न संख्या ६१२

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या मन्त्री, वन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या श्री महाराणा साहब उदयपुर को जानवरों का महसूल चराई लेने का अधिकार है ?

(ख) यदि नहीं, तो जो महसूल नाहर मगरा के पास में लिया गया वह जनता को वापिस किया गया है एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्थान के नागरिकों पर जो फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार कार्यवाही होती है वह राजस्थान के भूतपूर्व राज्यों के शासकों पर नहीं की जा रही है ?

(घ) नहीं, तो क्यों और हां, तो अभी तक किन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) यदि लिया गया होगा तो उसकी जांच कर उचित कार्यवाही की जायगी।

(ग) और (घ)—जो विशेषाधिकार रूलर्स को दिये गये हैं उनके अतिरिक्त फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार कार्यवाही में नागरिकों एवं शासकों में कोई भेद नहीं है।

श्री रोशनलाल—आपने फरमाया कि लिया गया होगा तो कार्यवाही होगी ?

श्री अमृतलाल यादव—लिया गया है, ऐसी शिकायत आई है परन्तु जब तक दूसरी साइड को नहीं देखा जाय तब तक कुछ डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता।

श्री रोशनलाल शर्मा—कितना अर्सा हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—यह मुझे इस समय मालूम नहीं।

श्री रोशनलाल—क्या यह बात सही है कि यह शिकायत आपके पास आये हुए एक वर्ष का अर्सा हो गया है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—यह ठीक ठीक तो मुझे मालूम नहीं, पर जब से शिकायत आई है जांच हो रही है।

श्री रोशनलाल—कब तक यह जांच खतम हो जावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—अति शीघ्र।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने एक साल पहले इस बात की शिकायत की थी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—एक साल पहले तो नहीं, इसके पीछे की थी।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—तो क्या ८-१० महीने पहले की थी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—६ महीने पहले की थी, और ४ महीनों पहल की थी तो की थी ; पर यह बात सही है कि शिकायत की थी।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—तो क्या ६ महीनों का अर्सा जांच के लिये काफी नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—अभी जांच हो रही है

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या जांच हुई ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—अभी जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसी सूरत में क्या जांच हुई है, यह इस स्टेज में बताना वाजिब नहीं है।

श्री दलीपसिंह—जांच करते हुए ६ महीने खतम हो गये तो अब क्या उम्मीद की जाय कि ३ महीनों बाद तो जांच खतम हो जायगी ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—जांच जल्द ही खतम हो जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या क्या सोर्सेज हैं जांच करने के ?

श्री अमृतलाल यादव—शिकायत कर्ता, सम्बन्धित जनता के नागरिक और सम्बन्धित अधिकारी ही जांच करने के सोर्सेज हैं।

श्री भैरूंसिंह—माननीय मन्त्री कितना अधिक से अधिक समय ऐसी जांच के लिये काफी समझते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो उस जांच की अहमियत पर निर्भर है।

श्री हरिदेव जोशी—जांच की अहमियत पर या व्यक्ति की अहमियता पर निर्भर करता है ?

श्री अमृतलाल यादव—व्यक्ति की अहमियत पर हो, ऐसी बात तो नहीं है।

प्रश्न संख्या ६१४

श्री हनवन्तसिंह—क्या यह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

साल १९५२ में सब-डिवीजन जैसलमेर में कितने डकैती, चोरी और कत्ल के केस हुए ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—सन १९५२ में जैसलमेर में डकैती के सात, चोरी के ६७ और कत्ल के चार केस हुए।

Page No.12

श्री हनवन्तसिंह—यह डकैती बोर्डर पर हुई या दूसरे एरिया में ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जैसलमेर के बारे में प्रश्न था इसलिये सारे जैसलमेर के फिगर्स दिये गये हैं ।

श्री भेरूंसिंह (दांता रामगढ़)—तो यह जो डकैतियां हुई हैं उनके सारे अपराधी पाकिस्तानी थे ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न अलग है ।

श्री हनवन्तसिंह—क्या माननीय गृह मन्त्री बोर्डर के अलग फिगर्स बताने की कृपा करेंगे?

श्री जयनारायण व्यास—बोर्डर के फिगर्स चाहिये थे तो अलग अलग प्रश्न करना था ।

प्रश्न संख्या ६१५

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि मर्जर के समय राजस्थान सरकार ने बीकानेर डिविजन के वास्ते भी कुछ औषधालय मन्जूर किये थे ? अगर हां, तो कितने ?

(ख) क्या यह सही है कि तारानगर के वास्ते भी एक औषधालय मन्जूर किया था ?

श्री रामकरण जोशी (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां, १३ औषधालय बीकानेर डिविजन के लिये स्वीकृत किये गये थे ।

(ख) खास तारानगर के लिये तो कोई औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया था । हां, तहसील तारानगर में दो औषधालय अवश्य स्वीकृत किये गये थे ।

श्री प्रभुदयाल—मन्जूरी हुए कितना अर्सा हो गया है ?

श्री रामकरण जोशी—४ साल ।

श्री प्रभुदयाल—मन्जूरी हुए चार साल हो गये हैं फिर भी अभी तक एक भी औषधालय क्यों नहीं खोला गया है ?

श्री रामकरण जोशी—मंजूरी का सवाल पूछा है, खोलने का सवाल नहीं पूछा है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मंजूरी दी गई है, इसकी कार्यवाही कब तक हो जायगी ?

श्री रामकरण जोशी—इसी साल कार्यवाही हो जायगी ।

प्रश्न संख्या ६१७

श्री **रघुराजसिंह**—Will the Home Minister be pleased to state :—

(*a*) Who were involved in the decoity recently committed in Kasban Thana ?

(*b*) Were some of the Constables of the Police Station also involved ?

(*c*) If so, what are their names and have they been brought to justice ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**—(क) अमृतलाल पुत्र भगवानलाल कहार, निवासी गांव गणेश खेड़ा, थाना पाहुरी, जिला शिवपुरी, मध्यभारत का दल ।

(ब) नहीं ।

(सी) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न संख्या ६१८

श्री **केसरीसिंह (डि० नं० ७६)**—क्या मन्त्री, वन विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील मांडलगढ़ के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बिजोलिया के कुछ किसानों को वन सम्बन्धी विशेष सुविधायें दी हुई हैं ?

(२) यदि हां, तो वे सुविधायें क्या हैं ?

(३) क्या सरकार का ध्यान वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इस ओर आकर्षित किया गया कि इन सुविधाओं द्वारा जंगल बरबाद हो रहा है ?

(४) क्या सरकार को इसमें विशेष लाभ प्रतीत होता है कि वहां के आधे किसान तो फ्री लकड़ी काटें तथा आधे जंगलात का टैक्स दें ?

(५) इन पांच सालों में बिजोलिया में कितनी फ्री चिट्ठियां हुई तथा सरकार को कितना लाभ तथा हानि हुई ?

(६) यह कौन सा कारण है कि एक ही जगह की जनता के साथ दो तरह का बर्ताव किया जा रहा है ? क्या ऐसी सुविधायें पूरे राजस्थान की जनता के लिये पर्याप्त की जावेंगी ?

श्री **अमृतलाल यादव (वन मंत्री)**—जी हां ।

बिजोलिया के काश्तकारान से खड़ लाखड़ नामक लाग माल हासिल के साथ वसूल की जाती है । इस लाग के बदले काश्तकारान अपने निजी उपयोग के लिये जंगलों से घास व लकड़ी ले सकते हैं ।

जितनी रकम खड़ लाखड़ के बदले जमा कराई जाती है उससे ज्यादा कीमत की घास व लकड़ी काश्तकारान अपने निजी उपयोग के लिये लेते हैं इससे जंगल बरबाद नहीं हो गया है । मग

[श्री अमृतलाल यादव]
एक प्रथा जो करीब ३० साल से एक राजनैतिक फैसले के आधार पर जारी है उसको अभी समाप्त करना उचित प्रतीत नहीं होता। यह किसानों और ठिकाने के बीच राजनैतिक विभाग भारत सरकार द्वारा कराया गया था। अतः इससे जनता का हित भी दृष्टि में रखा गया है। केवल आर्थिक लाभ ही नहीं।

जो किसान माल हासिल के साथ खड़ लाखड़ जमा कराता है उसको ये विशेष सुविधायें प्राप्त हैं, आम जनता को नहीं। इसलिये इसमें आधे किसानों को जंगलात का टैक्स देने का सवाल नहीं उठता।

इस विषय में गत वर्ष का रेकार्ड ही उपलब्ध है। पिछले चार वर्षों की संख्या का रेकार्ड नहीं रखा गया। गत वर्ष कितने पास दिये इसकी संख्या की जांच की जा रही है। वार्षिक आय करीब २५०) रुपया हुई।

इसका उत्तर नम्बर ४ में आ जाता है।

श्री **केसरीसिंह**--कहने का मेरा मतलब यह है कि सन् ४२ के आन्दोलन के जमाने में जो फैसला हुआ था और उसके मातहत जो जो सुविधायें दी गई थीं उनमें से सिर्फ इसी बाबत सुविधायें दी जा रही हैं या और बातें भी उसी फैसले के अनुसार हो रही हैं?

श्री **अमृतलाल यादव (वन मंत्री)**--उस फैसले के जिस हिस्से से मेरे विभाग का सम्बन्ध है मैंने माननीय सदस्य को उत्तर दिया है। यह खड़-लाखड़ के सम्बन्ध में कहा है।

श्री **केसरीसिंह**--क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि खड़-लाखड़ क्या होता है?

श्री **अमृतलाल यादव**--खड़-लाखड़ कुछ नहीं है; सिर्फ यही है कि उन लोगों ने स्वतः ही यह कहा था कि हम यह रकम देते हैं, उसके बदले हमें घास-लकड़ी दी जाय।

श्री **भैरूंसिंह केलवा**--क्या जहां रिवाज लागू हैं वहां रिवाज ही लागू रखे जायेंगे, फोरेस्ट एक्ट लागू नहीं किया जायगा।

श्री **अमृतलाल यादव**--फोरेस्ट एक्ट अवश्य लागू होगा।

श्री **दिलीपसिंह**--खड़-लाखड़ तो मेवाड़ में और भी सब जगह लगती थी जो और सब जगह बन्द हो चुकी हैं, सिर्फ बिजोलिया में ही लागू क्यों है?

श्री **अमृतलाल यादव**--मेवाड़ में सारे में खड़-लाखड़ लगता था, यह तो मुझे मालूम नहीं है।

श्री **दिलीपसिंह**--क्या माननीय मन्त्री यह पता लगा कर बतायेंगे कि सारे मेवाड़ में यह लाग लगती थी और इसको बन्द करने का कानून भी गजट में निकल चुका है, तो फिर एक ही जगह यह क्यों लागू है?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अर्ज किया कि मेवाड़ के दूसरे हिस्सों में भी जहां कि आदिवासी लोग रहते हैं उन्हें इस प्रकार की सुविधायें दी हुई हैं। जहां तक खड़-लाखड़ का सवाल है, उसके एवज़ में किसान देते हैं तो घाटे में नहीं रहते। अंत में तो इस प्रकार की सुविधायें, जब फोरेस्ट एक्ट लागू होगा तो बन्द करनी होंगी।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय मन्त्री ने अभी फरमाया कि खड़-लाखड़ लाग कुछ लागत नहीं है तो फिर क्या 'कुछ नहीं' की भी कोई आमदनी होती है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने 'कुछ नहीं' के आगे भी जो बात कही कि वह यह है तो उसको आपने नहीं बताया।

एक सदस्य—क्या फोरेस्ट एक्ट लागू कर दिया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार द्वारा तारीख तय करते ही लागू हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६१६

श्री दीनबन्धु परमार—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला उदयपुर कस्बा ऋषभदेव में सन् १६४८ से सन् १६५३ की फरवरी तक कितनी चोरियां हुई हैं ?

(२) पुलिस ने उनमें से कितनी चोरियों का पता लगाया है ?

(३) अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) सरकार ने इस विषय में क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—सन् १६४८ से लेकर अब तक ७१ चोरियों की पुलिस में रिपोर्ट की गई। इनमें से २१ चोरियों का पता लगा और २ में अभी जांच हो रही है। ४८ मुकद्दमे अदम पता रहे।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(३) बाकी चोरियों का पता लगाने के लिये पुलिस ने भरसक प्रयत्न किया।

श्री हरिदेव—क्या यह सही है कि पिछली इन चोरियों में पुलिस के कांस्टेबलों का भी हाथ रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—पिछले दिनों में दो चोरियें हुई। इस बात का कोई पता नहीं कि पुलिस के कांस्टेबलों का हाथ रहा।

श्री **सोहनलाल**--पांच साल में कितने चालान हुए ?

श्री **जयनारायण व्यास**--२१ चालान पेश किये गये और ४८ का पता नहीं लगा। इसके अलावा १३ व्यक्तियों को सजा मिली है और दो अभी तक अन्डर ट्रायल हैं।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--क्या सरकार इस बात की जांच करने की कोशिश करेगी कि जो चोरियें हुई हैं उनमें पुलिस के कांस्टेबलों का हाथ है या नहीं ?

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--कोई खास स्पेसिफिक केस ध्यान में लाया जावेगा तो उसकी जांच जरूर की जावेगी। बगैर स्पेसिफिक केस के तो जांच नहीं की जा सकती।

श्री **गुरुदयालसिंह सिन्धु**--बहुत सी चोरियों में पुलिस के कांस्टेबलों का हाथ रहा है और होता है, सरकार क्या उसकी जांच करेगी ?

श्री **जयनारायण व्यास**--हमारे पास उसकी लिस्ट आनी चाहिये और स्पेसिफिक केसेज सामने आने चाहियें जिससे की उनकी जांच की जा सके।

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६२०

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(क) बीकानेर जेल में सन् १९५३ के गत तीन महीनों में क्या सिक्ख कैदियो ने कोई भूख हड़ताल की थी ?

(ख) अगर की थी, तो क्यों ?

(ग) क्या उन कैदियों को जूतों और बैंतों से पीटा गया था ?

(घ) क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री **जयनारायण व्यास**--जी नहीं।

(२) शेष भाग में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--क्या बीकानेर जेल में ऐसी भूख-हड़ताल की सूचना सरकार को मिली ?

श्री **जयनारायण व्यास**--मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

प्रश्न संख्या ६२१

श्री **अध्यक्ष**--श्री तेजसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२२

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(क) जिला गंगानगर में कितने पुलिस के थानों में पैदाइश और मौत के रजिस्टर हैं ?

(ख) अगर हैं, तो थाना पदमपुर, जिला गंगानगर में सन् १९५२ में कितनी पैदायश और कितनी मौतें किस किस गांव में हुई ?

(ग) अगर नहीं है, तो क्या सरकार इनका रिकार्ड रखने का कोई प्रबन्ध करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--(क) जिला गंगानगर में किसी थाने में पैदाइश व मौत के रजिस्टर नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ऐसे रजिस्टर म्युनिसिपेलिटी व ग्राम पंचायत को रखना चाहिये, पुलिस को नहीं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सरकार को यह मालूम है कि इसके नहीं होने से बहुत प्रसंगों में बाधा पैदा हो जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास--इसको रखने के लिये पंचायतें या और कोई दूसरे जरिये पैदा किये जा सकते हैं लेकिन पुलिस में यह काम नहीं किया जा सकता ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या यह पुलिस का काम नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास--यह पुलिस का काम नहीं है । यह म्युनिसिपेलिटी और पंचायतों का काम है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--जहां तक पंचायतें बनाई जावेंगी वहां तक इसके रेकर्ड को मेन्टेन करने की क्या कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास--जहां सरकार की कोई एजेन्सी ही नहीं है वहां पर क्या किया जा सकता है ?

एक सदस्य--कितने आदमी मरे या कितने पैदा हुए, इस बात का हमें कोई पता नहीं लग सकता ।

श्री जयनारायण व्यास--जहां पर सरकार की कोई एजेन्सी नहीं है वहां पर रेकर्ड नहीं रखा जा सकता ।

प्रश्न संख्या ६२३

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(अ) बारां सामुदायिक योजना केन्द्र में १ अक्टूबर, ५२ से अब तक कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

(ब) राज्य सरकार द्वारा इन कार्यों में क्या सहयोग दिया गया ?

Page No.18

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—(अ) बारां सामुदायिक योजना केन्द्र में १ अक्टूबर ५२ से अब तक के कार्य में जो प्रगति हुई है उसका एक नोट विधान सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ब) टेक्निकल आर्थिक व और और दूसरी प्रकार की सहायता व पूरा सहयोग सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने दिया है।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—इसकी प्रतिलिपि जो मेज पर रखी गई है, मुझे भी मिलनी चाहिये।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६२४

श्री **गंगासिंह**—Will the Law Minister be pleased to state :—

(*a*) Why the District and Sessions Judge Court was shifted from Nagaur to Merta ?

(*b*) Looking to the importance of Nagaur and taking into consideration the administrative convenience by keeping the District and Sessions Judge Court at Nagaur, which is the District headquarter, is the Government thinking to shift the said Court to Nagaur again ?

(*c*) Is it a fact that in the last Vyas Ministry the then Law Minister promised to a deputation of the citizens of Nagaur that he would shift the District and Sessions Judge Court to Nagaur ? If so, is the Government prepared to fulfil that promise ?

(*d*) Is it a fact that the Chief Justice of Rajasthan has inquired into the the matter as to where the said Court may be kept ?

(*e*) If so, what is the report of the Chief Justice regarding this ?

श्री **जयनारायण व्यास** (मुख्य मंत्री)—

(*a*) At the time of the integration of the Courts, which came into effect from 1st July, 1950, all the three Courts of the District and Sessions Judges of the Jodhpur Division were located at Jodhpur City and the Court of the Civil and Additional Sassions Judge for Nagaur District was located at Merta. Afterwards, two of the District Courts of Jodhpur were shifted to Balotra and Merta respectively. At that time the Court of the Civil and Additional Sessions Judge, Merta, was abolished and the Court of the Munsiff, Merta, was elevated to the status of a Court of the Civil Judge. The headquarters of the District Court was selected to be Merta under the advice of the High Court where there was the facility of accommodation and the building was specially erected for this purpose by the former Jodhpur Government after spending a considerable sum of money.

(*b*) No such question is under the consideration of Government.

[श्री जयनारायण व्यास]

(c) There is no record available of any such assurance given by the former Ministry. In fact the former Ministry considered this matter and it was decided that the headquarters of the District Court should be located at Merta.

(d) No such proposal has been given to Government. In fact, the High-Court has always been in favour of keeping Merta as the headquarter of the District Court.

(e) This question does not arise.

श्री गंगासिंह—क्या ऐसा करते समय सरकार कंवेनेन्ट की सहूलियतों और इन्स्टीट्युशन ग्रॉफ दी केसेज का भी ध्यान रखती है।

श्री जयनारायण व्यास—हां, जरूर रखा जाता है।

श्री गंगासिंह—क्या यह सही है कि नागौर इसके लिये उपयुक्त स्थान है?

श्री जयनारायण व्यास—नहीं है। कुछ सुविधाएं देने का विचार किया जा रहा है

श्री गंगासिंह—सरकार क्या सुविधाएं देने का विचार कर रही है? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार के सामने मुन्सिफ की कोर्ट नागौर में रखने का ग्रौर वहां सिविल जज की कोर्ट करने का प्रश्न विचाराधीन है। सिविल जज की कोर्ट को एसिस्टेन्ट सेशन जज के ग्रधिकार ग्रौर स्माल कॉज कोर्ट को २५०) रुपये तक के दावे सुनने का ग्रधिकार दिया जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री गंगासिंह—डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर के लिहाज से मेड़ता की डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट को नागौर ग्रौर जो कोर्ट ग्राप नागौर में रखना चाहते हैं उसको मेड़ता क्यों नहीं रखते?

श्री जयनारायण व्यास—इसका मैं उत्तर दे चुका हूं।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री कंवरलाल जेतिया—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में सातों सामुदायिक योजना केन्द्रों में ग्रब तक के कार्यों में क्या प्रगति हुई है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—राजस्थान में सातों सामुदायिक योजना केन्द्रों में ग्रब तक जो जो प्रगति हुई है उसका एक नोट विधान सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री **हरिदेव**—क्या यह ही है कि सामुदायिक योजना के कामों में जितना सहयोग सरकार को देना चाहिये था, नहीं दिया जा रहा है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—सरकार हमेशा अधिक से अधिक सहयोग देने का प्रयत्न करती है।

श्री **हरिदेव**—क्या यह सही है कि जनता की ओर से जितना सहयोग मिल रहा है उतना सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—अगर ऐसी बात ध्यान में लाई जावेगी तो उस पर ध्यान दिया जायगा ।

श्री **हरिदेव**--क्या सरकार को यह मालूम है कि जवाहिर बाल मन्दिर बनाने के लिये जो निश्चय हुआ था उसमें लोगों ने मेहनत करके उसको बनाया लेकिन लोगों को जंगल से लकड़ी नहीं मिली ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**--इसके बारे में जांच की जावेगी ।

श्री **कंवरलाल जेलिया**--बारां कॅम्युनिटी प्रोजेक्ट में जनता ने कितना कार्य किया और सरकार ने उसमें कितना सहयोग दिया ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**--मैं समझता हूं कि इस बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं ।

श्री **हरिदेव जोशी**--क्या इस सम्बन्ध में एडवाइजरी बोर्ड्स बनाये गये हैं ? क्या सरकार उनको कोई सहयोग नहीं दे रही है ? इन सामुदायिक योजनाओं में सरकार की ओर से जो सहयोग दिया जाना चाहिये व जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जानी चाहिये वे उनको नहीं मिल रही हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—सहयोग तो सरकार का बराबर होता ही है और अगर इस सम्बन्ध में एडवाइजरी बोर्ड की कोई शिकायत होगी तो सरकार उसकी जांच करेगी और आगे भी प्रयत्न करेगी कि इस प्रकार की कोई शिकायत न हो ।

श्री **हरिदेव जोशी**—रिपिटेडली (repeatedly) इन शिकायतों के बावजूद भी क्या सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है ? क्या सरकार इन कामों में उदासीन है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—सरकार के उदासीन होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता है । किसी चीज़ को इम्प्लीमेन्ट (implement) करने में कोई खास दिक्कत हो सकती है और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का सरकार भरसक प्रयत्न करती ही है ।

एक सदस्य—क्या सरकार इन कामों में सहयोग नहीं देना चाहती ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई विभाग इन सामुदायिक योजनाओं में सहयोग नहीं देते ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—यह बहुत ही जनरल नेचर का प्रश्न है जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। आम तौर पर सहयोग मान कर ही चला जाता है। अगर अमुक काम में सहयोग नहीं दिया गया हो तो उसकी जांच की जा सकती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं आपको बारां के लिये बतला रहा था। जनता ने जितना कार्य किया है उतना सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कोई सहयोग नहीं दिया है। बारां में सड़क जनता द्वारा बनाई गई, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसमें सहयोग नहीं दिया गया। क्या आप जांच करेंगे और व्यवस्था भी करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—जांच अवश्य की जावेगी।

श्री हरिदेव जोशी—अलवर में विशेषाधिकार एडवाइजरी बोर्ड को प्राप्त हैं किन्तु यह बात डूंगरपुर आदि स्थानों के लिये नहीं है। अलवर में कार्य अच्छा हो रहा है क्योंकि सरकारी मशीनरी का भी सहयोग है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—जिस प्रकार अलवर के लिये सरकारी मशीनरी का प्रश्न है उसी प्रकार दूसरी जगहों के लिये भी है। अलग अलग विभागों में एडवाइजरी बोर्ड्स हैं। अगर अलवर में काम अच्छा चल रहा है तो यह माना जाना चाहिये कि सरकारी विभाग ठीक तरह से पूरा सहयोग दे रहा है।

श्री भैरूंसिंह (केलवा)—उदयपुर इरिगेशन विभाग मदद नहीं देता है, क्या यह बात सरकार के नोटिस में लाई गई थी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—मेरी जानकारी में जरूर लायी गयी थी।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या सामुदायिक योजनाओं में माननीय मंत्री महोदयों के फोटो अखबारों में प्रकाशित करा देने का ही प्रगति का काम है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—आपने जो फोटो देखे होंगे तो आपको उसी प्रगति पर ध्यान गया होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि अधिकतर पैसा फोटो खिंचवाने में ही खर्च होता है ?

श्री भैरूंसिंह (केलवा)—इरिगेशन विभाग का कोई सहयोग कॅम्युनिटी प्रोजेक्ट के कामों में नहीं है, इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न पूछा था; उसका कोई स्पष्ट उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर। आॅर्डर ! ! नेक्स्ट—श्री जेलिया।

प्रश्न संख्या ६२६

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(अ) राजस्थान सामुदायिक योजना केन्द्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के ट्रेनिङ्ग के लिये संचालित छत्रपुर ट्रेनिंग स्कूल में किन किन कार्यों में कितना खर्चा होगा, व अब तक खर्चा कितना हुआ, व किन किन कार्यों में हुआ ?

(ब) इस स्कूल में कितने छात्र प्रवेश पा चुके हैं ?

(स) राजस्थान के किस २ डिविज़न व ज़िले के हैं ?

(ड) इन पर प्रति छात्र क्या व्यय होता है ?

(स) ट्रेनिंग अवधि कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(अ) ट्रेनिंग सेन्टर छत्रपुरा, कोटा में जो कार्य कर्ता ट्रेनिंग पा रहे हैं उन पर चार वर्ष में क़रीब ६, ५४,८०००) रुपया उन सब कार्यों में जिसकी सूची मेज़ पर रखदी गई है व्यय होने का अनुमान है, (कृपया परिषिष्ट ३ देखिये) गत वर्ष ३१-१२-५२ तक २५८० रुपये ७ आने ३ पाई उपरोक्त कार्यों में खर्च किए जा चुके हैं।

(ब) ६४ कार्यकर्ता ट्रेनिंग पा रहे हैं।

(स) ये छात्र राजस्थान के पांच डिविज़नों से लिए गए हैं और ये सब अलवर, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, पाली और गंगानगर जिले के हैं।

(ड) ५०) रुपये प्रति छात्र व्यय होता है।

(स) ट्रेनिंग अवधि ६ महीने की है।

श्री धर्मपाल—आपने बीकानेर डिविज़न के लिये नहीं बताया कि वहां से कितने छात्र लिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—अलग अलग नाम नहीं दिये गए हैं। छात्रों की कुल तादाद बताई गई है।

श्री गुरुदयाल सन्धु—इन छात्रों में बीकानेर डिविज़न का कोई छात्र है भी या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—गंगानगर बीकानेर डिविज़न में है और गंगानगर से भी छात्र इसमें लिये गये हैं।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या अलग अलग डिविज़नों की सूची नहीं दी गई है ?

Page No.23

श्री मोहनलाल सखाडिया (राजस्व मन्त्री)–पांचों डिविजनों की कुल छात्रों की तादाद बताई गई है।

श्री कँवरलाल जेलिया–जो खर्चा बताया गया है उसमें से प्रचार कार्य में कितना खर्च किया गया ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ! ऑर्डर ! ! नैक्स्ट, श्री संग्रामसिंह।

प्रश्न संख्या ६२७

श्री संग्रामसिंह—क्या इंडस्ट्रीज एण्ड कोमर्स मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

पहले मकान बनाने तथा खेतों पर चहारदीवारी बनाने के लिये काश्तकार लोग पत्थर फ्री लाते थे, यदि हां तो अब उन पर टैक्स क्यों लगाया गया है ?

श्री कुम्भाराम (उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री)–पहले मकान बनाने व खेतों पर चहारदिवारी बनाने के लिये काश्तकार जो पत्थर खोद कर लाते थे उस पर कुछ कोवेनेन्टिग स्टेट्स में रोयल्टी वसूल होती थी और कुछ में नहीं। अब गवर्नमेंट के नये आदेशानुसार काश्तकार के निजी काम यानि खुद के रहने के मकान, आबपाशी के तालाब, कुआ, खेत, मकान में आने वाले सिर्फ चेजा पत्थर पर कोई रॉयल्टी वसूल नहीं होती।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—साहब सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—कोई रायल्टी वसूल नहीं होती।

श्री शम्भूसिंह–क्या यह सही है कि खानें ठेकों पर दे देते हैं और काश्तकारों को पत्थर नहीं मिलता ?

श्री कुम्भाराम—खाने ठेकेदारों को ही दी जाया करती हैं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)—क्या सरकार अब विचार करेगी कि पत्थर खेतों के काम के लिये फ्री दिये जायं।

श्री कुम्भाराम (इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर)—खेतों के काम के लिये अब भी फ्री हैं।

श्री कस्तूरचन्द—क्या इसके लिये अर्थात डोरी बनाने, कुआ आदि बांधने के लिये सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी ?

('मंजूरी लेनी पड़ेगी' इस प्रकार की सदन में आवाज)

श्री कस्तूरचन्द—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

Page No.24

श्री कुंभाराम (इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर)—तहसीलदार से मंजूरी ली जा सकती है।

श्री कस्तूचन्द—क्या अब तहसीलदार से ही ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ६११।

प्रश्न संख्या ६११ (१२४-डी. सी. एम.)

श्री हनवन्तसिंह—क्या मंत्री डेवेल्पमेंट विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में सबसे पिछड़े इलाके कौन २ से हैं ?

(२) क्या इन पिछडे इलाकों के लिये राजस्थान में दूसरे इलाकों के बराबर लाने के लिये कोई योजना है ?

(३) उत्तर 'हां' में है तो सरकार क्या कर रही है ?

(४) अगर उत्तर 'ना' में है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या ६१३

श्री हनवन्तसिंह—क्या योजना मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मिली है उसमें से जैसलमेर की पिछडी हुई जनता के लिये कोई कार्य में व्यय करना सरकार ने निश्चित किया है ?

(२) यदि किया है, तो कितना व्यय किया जायगा और वह कहां-कहां ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसलमेर सब-डिविजन में उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। गत वर्ष एक वूल ग्रेडिंग सुपरवाइज़र की नियुक्ति की गई है व १० भेड व ऊन प्रसरन केन्द्र खोले गये और इस वर्ष एक भेड प्रजनन क्षेत्र खोला जायगा। गत वर्ष करीब १० हजार रु० उपरोक्त कार्य पर खर्च हुए हैं और इस वर्ष ६० हजार रु० खर्च करने की योजना है।

प्रश्न संख्या ६१६

श्री हनवन्तसिंह—क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

हरिकेपतन व भाखरा नांगल से जैसलमेर व बाप तहसीलों में नहर आने की कोई संभावना है ?

Page No.25

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—हरिके बांध पंजाब सरकार ने बनाया है। अभी यह निश्चय नहीं हुआ है कि इस बांध से कितना पानी किसको और कब तक मिल सकेगा किन्तु आशा की जाती है कि पानी आने पर जैसलमेर के कुछ हिस्से को उसका लाभ मिल सकेगा। बाप तहसील व जैसलमेर के इलाकों को भाखरा नांगल से पानी दिये जाने की कोई संभावना नहीं है।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या हरिके बांध योजना का कोई सरवे किया गया है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—किस सरवे से आपका मतलब है ? बांध के सरवे से या सिंचाई की जमीन के सरवे से ?

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—जिस जिस इलाके में पानी लाया जायगा उस इलाके के सरवे से मेरा मतलब है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—अभी डिटेल्ड (detailed) सरवे नहीं हुआ है प्रिलिमिनरी (preliminary) सरवे किया गया है।

श्री **हिम्मतसिंह (अटरू)**—६२१ नम्बर का सवाल इंपोर्टेन्ट है; कुंवर तेजसिंहजी आज नहीं आये हैं यदि इजाजत हो तो मैं यह सवाल पूछलूं ?

श्री **अध्यक्ष**—उत्तर मेज पर रख दिये जायेंगे।

श्री **हिम्मतसिंह**—ऐसी हालत में सप्लीमेन्ट्री प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे ?

श्री **अध्यक्ष**—बाद में टेबिल कर दीजिये।

(विराम)

आलराइट पूछ लीजिये।

प्रश्न संख्या ६२१

(श्री तेजसिंह की अनुपस्थिति में श्री हिम्मतसिंह ने पूछा)

कुंवर श्री तेजसिंह—Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state :—

(*a*) Is the Government aware that Shri V. Ratan, Senior Dental Surgeon, Sawai Man Singh Hospital, Jaipur, is writing certain degrees or diplomas after his name which are in fact neither Degrees nor Diplomas and which are neither recognised qualificatons nor can be written after one's name *e.g.* D. Dent (Berlin), **D. R. D.** (German), Z. D. S., **(Vienna) and** P. G. R. S. **(Edinburg)** ?

Page No.26

[कंवर श्री तेजसिंह]

(*b*) Is the Government aware that none of the alleged degrees or diplomas referred to in question number (*a*) have been recognised by the All-India Dental Council or the All-India Dental Association.

श्री **रामकरण जोशी**--(चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य मंत्री)--सवाई मानसिंह अस्पताल के डेन्टल सरजन डा. वी. रतन को देश तथा विदेश से दन्त विज्ञान की योग्यता प्राप्त है। दन्तविज्ञान की योग्यता की प्रमाणित प्रतिलिपियां जो उन्हें अनेक जगह से प्राप्त हैं टेबल पर रख दी गई हैं। यह सही है कि विदेशी योग्यताऐं जो डाक्टर वी. रतन को प्राप्त हैं इन्डियन मेडिकल कोंसिल द्वारा अभी तक मान्य नहीं हैं।

(प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेज दी गई हैं)

जहां तक जानकारी है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पश्चात् अपनी शिक्षा संबंधी योग्यतायें जो भारत में मान्य नहीं भी हैं उन्हें लिखने को स्वतन्त्र है और उसमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती।

(ब) हां, परन्तु यह मामला भारत तथा विदेशों के आपस के संबंध पर निर्धारित है।

श्री **जसवन्तसिंह**--क्या माननीय मंत्रीजी बतलायेंगे कि जब कि वे उपाधियां मान्य नहीं हैं तो उन्हें इस पद के योग्य कैसे समझा गया है?

श्री **रामकरण जोशी**--मैं समझता हूं कि सवाल और जवाब दोनों बिल्कुल स्पष्ट हैं। इन उपाधियों के आधार पर ही यदि किसी व्यक्ति को विशेषतायें दी गई हों तब सवाल उठ सकता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने बाहर से तालीम पाकर डिग्रियें हासिल की हैं तो उन्हें अपने नाम के आगे वह लिख सकता है।

श्री **जसवन्तसिंह**--केवल लिखने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि क्या राजस्थान सरकार इन डिग्रियों की योग्यता को उस पोस्ट के काबिल समझती है?

श्री **रामकरण जोशी**--इन डिग्रियों के आधार पर योग्यता कायम नहीं की गई है।

श्री **जसवन्तसिंह**--क्या यह सही है कि उनका असिस्टेन्ट उनसे अधिक योग्यता रखता है।

श्री **रामकरण जोशी**--यह अलग सवाल है।

श्री **भैरूसिंह**--क्या उनके पास ऐसी योग्यता है जो भारत में मान्य है?

श्री **रामकरणजोशी**--यह मालूम होना चाहिये कि ऐसी योग्यता हुए वगैर वह सवाई मानसिंह अस्पताल में काम नहीं कर सकते थे।

श्री मानसिंह —वे डिग्रियें कौनसी हैं ?

श्री शंभूसिंह—सरकार ऐसी डिग्रियों के बगैर किसीको नहीं रखती है।

श्री रामकरण जोशी —मेरे खयाल में सवाल और जवाब दोनों को आप समझे नहीं।

श्री सरदारसिंह (खंडेला) —इस डाक्टर के इलाज से किसी मरीज को नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

श्री अध्यक्ष —आर्डर ! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०११

श्री महादेव प्रसाद —क्या ग्राम विकास मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे —

(क) क्या सरकार ग्रामोन्नति के लिये कोई योजना तैयार कर चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो झुंझुनू जिले के लिये क्या और कितने व्यय की योजना निश्चित की है ?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार द्वारा प्रति वर्ष ३ लाख रुपये व्यय किये जाकर ग्रामोन्नति के लिये योजना पहिले से चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न जिलों में १२ ग्राम सुधार केन्द्र और २ पब्लिसिटी युनिट कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम सुधार केन्द्र पर १० से २० ग्रामों के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम सफाई, व स्वास्थ्य, ग्राम औषधालय, पुस्तकालय, वाचनालय, ग्राम-खेल-कूद, कृषि उन्नति, बीज-खाद वितरण, कंपोस्ट निर्माण, कुए आदि की मरम्मत, ग्रामोद्योग उन्नति पशु नस्ल सुधार, सामाजिक सुधार व ग्राम में मार्ग, सडकें, छोटे बांधों आदि के निर्माण कार्य हो रहे हैं।

(२) अर्थाभाव के कारण फिलहाल झुंझुनू जिले में कोई सुधार केन्द्र स्थापित होने की योजना नहीं है।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित सदस्यों ने नामों के आगे बतलाये हुए दिनों में सभा-भवन से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

१. श्री अर्जुनसिंह २४ मार्च से २८ मार्च।

२. श्री मंगलसिंह कछवाहा १९ मार्च से २ अप्रेल।

श्री मंगलसिंह —मैं आज यहां मौजूद हूं।

श्री अध्यक्ष —(जारी) (३) श्री हरिकृष्ण व्यास २३ अप्रेल से १० मई।

क्या सभा की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

Page No.28

[श्री अध्यक्ष]

उपरोक्त सदस्यों को उपरोक्त तिथियों में अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की गई।

विधान कार्य

राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Now Legislative Business

श्री जसवन्त सिंह—Sir, I submit that our party members and the Congress party members are having deliberations on the Rajasthan Agricultural Income-tax Bill. So other Bills may be taken up first. We may take the Town Municipalities Bill or the Maternity Bill first. Discussions are going on between the Congress party members and our party members and they are trying to come to certain agreed solutions. In the meanwhile I propose that either Maternity Benefit Bill may be taken or we may take the Town Municipalities Bill. There is only one amendment over it.

श्री अध्यक्ष—This Bill is to be referred to Select Committee.

श्री जसवन्तसिंह—Then this may be taken first.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—Sir, I beg to move that the Rajasthan Town Municipalities (amendment) Bill, 1953, be referred to a Select Committee. The list of the members will be given afterwards.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. (विराम) The question is that the Rajasthan Town Municipalities (amendment) Bill, 1953, bereferred to a Select Committee.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

(विराम)

I have also received names of the members of the Select Committee. The names of the Select Committee personnal are :—

1. Shri Ram Kishore Vyas.
2. Shri Badri Prasad.
3. Shri Badri Lal.
4. Shri B. N. Joshi.
5. Shri Lal Bahadur.
6. Shri Madhav Prasad N. Pandit.
7. Shri Manphool Singh.
8. Shri Tej Mal Bapna.

[श्री अध्यक्ष]

9. Shri Mathura Das Mathur.
10. Shri Bhawani Sahai Sharma.
11. Shri Jai Chandra.
12. Shri Jawan Singh.
13. Colonel Shri Dalip Singh.
14. Shri Hari Singh.
15. Shri Mangal Singh Kachhawa.
16. Shri Roop Narain Shastri.
17. Shri Chittar Lal.
18. Shri Bhairon Singh Kelwa.
19. Shri Bhairon Singh Kachariawas.
20. Gulab Chand Kasliwal.

Who is to preside ? The Member-in-Charge?

(स्वीकृत)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the house. Now we proceed to the Maternity Benefit Bill.

राजस्थान प्रसूति-लाभ विधेयक १९५३

श्री रामकरण जोशी—Sir, I beg to move that the Bill to regulate the employment of women in factories some time before and some time after confinement and to provide for the payment of maternity benefit to them, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष--Motion moved.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, मुझे इस बिल के बारे में जो आपत्ति है वह यह है कि खण्ड ५ में जो बात लिखी हुई है, जो अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद है उसमें पाई नहीं जाती और सदन में बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो सिर्फ हिन्दी ही जानते हैं इसलिये पहले वह करेक्शन हो जावे तो बेहतर हो।

मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के सीधे सादे अनुवाद में इस प्रकार की गल्तियां क्यों रक्खी जाती हैं ?

अगर आप फरमावें तो वह गलती में पोइन्ट आउट कर दूं।

श्री अध्यक्ष--आपको इसके सिद्धान्तों पर तो बहस नहीं करनी है ?

श्री मानसिंह महार—करनी है पर पहले·····

श्री अध्यक्ष—आप सिद्धान्त पर बहस करियेगा।

Page No.30

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान प्रसूति लाभ विधेयक, १९५३, के सिद्धान्त का स्वागत करते हुए में यह बताना चाहता हूं कि स्त्रियों को इस प्रकार की जो सुविधायें प्रसूति के समय पाश्चात्य देशों में दी जाती हैं वे सुविधायें इस बिल में मौजद नहीं हैं।

इसके अलावा प्रसूति काल के बाद जो इस बिल के अन्दर ४ सप्ताह की मयाद रक्खी गई है वह बहुत ही कम समय है और में नहीं समझता कि हमारे मंत्रीजी ने इस प्रकार की चीज कहां से खोद कर निकाली है।

इसके अलावा इस बिल के सैक्शन ५ में जो मिसकैरेज के बाद का समय एक सप्ताह का दिया गया है उसको तो में एक और भी आश्चर्य जनक बात समझता हूं क्योंकि मिसकैरेज के बाद तो स्त्री और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है, यहां तक कि मिसकैरेज के बाद तो उसका एक प्रकार से नया जन्म ही माना जाता है।

श्री जसवन्तसिंह—आपको इसका अनुभव कैसे हुआ ?

श्री रामकरण जोशी—आपकी आपत्ति ठीक है, पर यह मिसप्रिन्ट है। इसकी जगह ३ वीक किया जावें। It is three week's and not one week.

श्री मानसिंह महार—मंत्री महोदय ने अपनी गल्ती या मिसप्रिन्ट को मंजूर किया, इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। पर अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि कानून में इस तरह से मिसप्रिन्ट हो जाता है। यह मिसप्रिन्ट बहुत ही खतरनाक साबित होता है।

श्री चन्दनमल वैद—इसीलिए तो मिसप्रिन्ट किया है।

श्री मानसिंह महार—(जारी) इस प्रकार से कई बार मिसप्रिन्ट की बातें हमारे सामने आ चुकी हैं। हमारे यहां के ला-विभाग को चाहिये कि वह गवर्नमेन्ट प्रेस को इस बात के लिये हिदायत दे कि इस प्रकार के मिसप्रिन्ट को ध्यान में रक्खे तो ठीक है।

इसके अलावा मंत्री महोदय यह भी कर सकते थे कि इसकी सूचना हमें पहले ही दे देते।

इस बिल के बारे में और ज्यादा मुझे कुछ न कह कर यह कहना है कि मिसकैरेज का समय कम रखना बहुत बड़ी खामी थी। इसीलिये में बोलने के लिये खड़ा हुआ था लेकिन मंत्री महोदय ने जब इसके लिये मिसप्रिन्ट का नाम लेकर अपनी गलती महसूस कर लिया है तो अब में ज्यादा न कहकर यही कहूंगा कि इस "Three weeks" के एवज में भी "Four weeks" कर देगें तो बेहतर होगा।

और जो मेरे दोस्तों के अमेन्डमेन्ट हैं उन पर अपनी बातें जुदा कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—The question is that the Rajasthan Maternity Benefit Bill, 1953, be taken into Considration.

(स्वीकृत)

Page No.31

[श्री अध्यक्ष]

The Bill is now taken into consideration.

(खण्ड २)

Shri H. K. Vyas.

(अनुपस्थित)

Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन खण्ड २ में इस प्रकार है :—

"The words on such date ....appoint in Clause 2(b) be substituted by the words 'at once'."

श्री अध्यक्ष—We can take Clause 2 afterwards, together with Clause 1.

(विराम)

We come to Clause 3.

(विराम)

श्री तनसिंह

(अनुपस्थित)

The question is that Clause 3 stand part of the Bill.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं इसको मंजूर करता हूं। यह मिसप्रिन्ट है।

श्री अध्यक्ष—You accept the amendment of Shri Tan Singh?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—I accept to substitute the word "definitions" for the word "definition". That is all ?

श्री अध्यक्ष—Further also ?

श्री रामकरण जोशी—No. This is Clerical.

श्री अध्यक्ष—The question is that clause 3, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3, as amended, is accepted.

(विराम)

Clause 4.

Page No.32

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, क्लाज चार के सब क्लाज (१) और (२) में जो मेरे अमेन्डमेन्ट थे वे लिस्ट में नहीं आये हैं ?

श्री जवानसिंह—जितने भी अमेन्डमेन्ट आये हैं उनको किस हिसाब से लिया जा रहा है लिस्ट वाइज लिया जा रहा है या किस तरह से ?

श्री अध्यक्ष—I may inform the Hon'ble Members that Shri H. K. Vyas has tabled certain amendment motions and because he is not present, his amendments will not be called. He has authorised Shri Bhairon Singh to move the amendments on his behalf. For that he has not been permitted. So Shri Bhairon Singh has tabled the motions moved by Shri H. K. Vyas adverbatim and I have rather waived the notice condition because virtually they are the same, reproduction of the motions which were tabled by Shri H. K. Vyas. So the Hon'ble members can see that the amendment motions moved by Shri Bhairon Singh are the same as put in by Shri H. K. Vyas.

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, क्लाज चार में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"Delete the words 'after this Act comes into operation".

अध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध क्लाज २ से है । अगर क्लाज दो पर पहले विचार कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि इन शब्दों को डिलीट करने के सम्बन्ध में कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । जब तक क्लाज दो पर विचार नहीं किया जाता है मैं कुछ कहना नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष —Let us take Clauses two and four together.

श्री भैरू सिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) माननीय अध्यक्ष क्लाज दो में मेरा अमेन्डमेन्ट यह है :—

"In sub clause (b), line first, delete the words "on such date as the State Government may by notification in the official Gazette appoint" and in thier place, substitute the word "immediately"..

जैसा कि इसके स्टेटमेन्ट आफ ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों) में लिखा है:—

'There is no uniform law in Rajasthan regulating the grant of leave and maternity benefit to women workers in factories for some time before and after confinement. In some parts of Rajasthan no law on the subject exist at all. This state of affairs places women workers at a great disadvantage as compared with thier colleagues in neighbouring Part A and Part B States,.......................".

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री और सरकार ने, सब ने यह माना है कि ऐसा कानून जो दूसरे पार्ट 'ए' और 'बी' स्टेट्स में है और राजस्थान में नहीं है इसलिये राजस्थान में भी इस प्रकार का कानून

[श्री भरूंसिंह]
बनाना चाहिये और राजस्थान सरकार ने इस कानून के अभाव को मानकर कानून बनाने का निश्चय किया, और इसी निश्चय के अनुसार वह जरूरी समझती है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी पास भी किया जाय, ऐसी सूरत में मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार एक तरफ तो कानून बनवाती है और उसको पास करवाना चाहती है और जब पास करने के बाद लागू करने का सवाल आता है तो उसके लिये सरकार की जब मरजी होगी तब लागू करने के अधिकार चाहती है। कानून बनने के बाद उसको उसी दिन से लागू किया जाना चाहियें जब कि उसकी सारी सेंक्शन पूरी होजाय, जिससे आज इस कानून के अभाव में स्त्री समाज को जो नुकसान हो रहा है वह न होने पावे। जिन फेक्ट्रीज में स्त्रियां काम कर रही हैं तथा जिनसे मालिक जबर्दस्ती काम लेते हैं वे भी तब जबर्दस्ती काम नहीं ले सकेंगे। जब कि सरकार ने इस तरह के कानून की कमी महसूस करके ही इसको बनाना मंजूर किया है तो फिर सरकार इसको अमल में लाने के लिये क्यों देरी करना चाहती है? इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस वक्त कानून पास हो जाय उसी वक्त से कानून लागू हो जाना चाहिये।

अगर मेरा दूसरे क्लॉज पर का यह अमेन्डमेन्ट मंजूर हो जाता है तो क्लॉज चार में "come into operation" सारा का सारा डिलीट कर दिया जाय। जिस वक्त एक्ट लागू हो जाता है "immediately" तो यह अटोमेटिकली (स्वतः) लागू हो जाता है इसलिये यह शब्द सुपरफ्लुअस (Superflous) हैं और ये हटा देने चाहिये।

श्री जवानसिंह—जहां तक मेरे संशोधन क्लॉज २ का संबंध है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने यह महसूस किया कि प्रसूतिकाल में स्त्रियों से काम नहीं लेना चाहिये और इसके लिये इस प्रकार का बिल बनाना आवश्यक समझा और इस प्रकार के बिल को सदन के सामने प्रस्तुत किया। अगर इस प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं होती यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। अगर यह बात सही है कि सरकार इसकी आवश्यकता को समझती है तो सरकार को क्लॉज दो में इस प्रकार का प्रोविजो रखने की आवश्कता प्रतीत ही नहीं होती।

"It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the official Gazette appoint."

ऐसे प्रोविजो की क्या आवश्यकता थी? जब बिल पास हो जाता है तो उसके बाद में सरकार अपने साथ में अधिकार रखती है कि वह चाहे जब इस कानून को अमल में लावे, अन्यथा नहीं। इस बिल की आवश्कता है, इसको सरकार ने महसूस किया और इसको जब सरकार मानती है तो फिर इस कानून के पास हो जाने के बाद उसमें सरकार क्यों डिले (विलम्ब) करना चाहती है, क्यों इस चीज को सीमित करना चाहती है कि कानून काम में आयगा या नहीं? कानून जब पास होजाय तो उसके पश्चात् उसी वक्त से कानून का अमल शुरू हो जाय ताकि इस कानून से जो फायदे जनता को मिलने वाले हैं वे तुरन्त ही मिल जावें, कानून के पास होने के साथ ही। इसमें किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसलि मेरा यह संशोधन साधारण है। आशा है इस संशोधन को अवश्य स्वीकार किया जायगा।

दूसरा, क्लॉज चार के 'ए' में मेरा संशोधन है। उसमें सिर्फ एक शब्द डिलीट करने के लिये कहा गया है वह शब्द है "knowingly."

[श्री जवानसिंह]
इस शब्द के हट जाने के बाद यह इस प्रकार पढ़ा जायगा :—

"No employer shall employ a woman in any factory during the four weeks following the day on which she is delivered of a child."

माननीय अध्यक्ष, हमारी सरकार चाहती है कि स्त्रियों को इस कानून के जरिये फायदा दिया जाय जो प्रसूति-काल के पश्चात् कुछ अरसे के लिये आराम कर सकें और इस चीज की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं कि हरएक आदमी के लिये, जो स्त्रियों से काम लेता है उसके लिये यह आवश्यक व जरूरी बना दिया जाय कि वह प्रसूति-काल के पश्चात् चार सप्ताह तक किसी को भी नौकर न रखे। चार सप्ताह का अवकाश इसलिये देते हैं ताकि उस समय में वह स्त्री काम करने लायक अपने को बना ले। लेकिन जब हम इस चीज की अहमियत को मानते हैं और फिर फैक्ट्री के मालिक के लिये या दूसरे व्यक्ति के लिये,जो स्त्रियों से काम लेते हैं, यह आवश्यक बना दे कि किसी भी स्त्री को तीन चार हफ्ते के अन्दर काम पर न लेवे तो इसके लिये विरोधी पक्ष यानि कांग्रेसी सदस्यों की तरफ से यह निवेदन हो सकता है कि यह उस फैक्ट्री के मालिक को कैसे पता लगेगा कि जिस औरत को काम पर लगाया जाने वाला है उसको चार सप्ताह हो गये या नहीं। इसके लिये यह बहुत सीधी-सादी चीज है। अगर आप कानून को इस सांचे में ढालना चाहते हैं तो फैक्ट्री के ओनर के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वह किसी स्त्री को काम पर न लगावे जब तक कि उसको प्रसूति काल से चार सप्ताह न हो गये हों। तो फैक्ट्री मालिक के लिये अपने देखने की चीज रह जाती है कि वह बिना जांच किये किसी औरत को,जिसने चार सप्ताह प्रसूतिकाल के बाद न निकाले हों, काम पर नहीं लगाये। फैक्ट्री मालिक अपनी जिम्मेदारी लेता है कि किसी औरत को काम पर लगाने से पहले वह अच्छी तरह जांच कर लेगा कि यह औरत चार हफ्ते के अन्दर अन्दर तो काम पर नहीं आई है या किसी जगह चार हफ्ते की छुट्टी लेकर तो काम पर यहां नहीं आ रही है। यह सब फैक्ट्री ओनर (स्वामी) का काम है कि वह जांच कर के उसको काम पर लगाये। अगर सरकार चाहे कि फैक्ट्री ओनर को रियायत दी जाय, केपिटलिस्टों को प्रोत्साहन दिया जाय कि वे चार हफ्ते के भीतर आने वाली औरतों को भी कम मजदूरी पर काम देदें तो दूसरी बात है। यदि कम वेजेज पर वे आती हैं और उनकी तन्दुरूस्ती खराब हो जाती है तो उससे भावी समाज पर और भावी संतान पर कितना बुरा असर पड़ता है; यह बात सोचनी चाहिये कि यह कितना अनुचित होगा। मेरा यह निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाय और इस प्रोविजो को हटा दिया जाय। इस संशोधन के पश्चात् हरएक फैक्ट्री मालिक के लिये यह लाजमी हो जायगा कि वह किसी भी औरत को प्रसूतिकाल के चार हफ्ते के अन्दर अन्दर काम पर न ले। यह तभी हो सकेगा जब कि आप मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २ में भी शायद अभी

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ४ में और एमेन्डमेंट पेश करेंगे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—पहले वाले का जबाब मिल जाय तो फिर पेश करूंगा।

[redacted]

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—मैं बतला दूं कि इसके लिये (क्लाज़ २ के लिए) मैंने अभी लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय लेली है, कानूनी बाधा नहीं आती है। इसलिये यहां यह रह सकता है, "It shall come into force at once." बाकी यह श्री जसवन्तसिंहजी वाला संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—I think it is the leave of the House.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that Clause 2, as amended, stand post of the Bill.

(स्वीकृत)

खण्ड २ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज ४ के बारे में कुछ एमेंडमेंट और हैं। विशेष और कहना हो वह कहें।

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—क्लॉज ४ पर जितने एमेन्डमेन्ट्स हैं, वे मूव कर दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—क्लाज ४ पर मेरे दो एमेंडमेंट्स और हैं। एक है–

"In sub-clause (1), second line, substitute the words 'six weeks' in place of the words 'four weeks'."

दूसरा एमेंडमेंट है–

"Delete sub-clause (2)."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज के द्वारा सरकार ने यह पाबन्दी लगाई है कि, कोई फैक्ट्री वाला यानी कोई भी फैक्ट्री का मालिक किसी स्त्री को उसके बच्चा होने के समय के ४ हफ्ते तक जान बूझकर नहीं रखेगा अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूं कि यह कानून, कानून जानने वालों ने तैयार किया और यह भी मुझे आशा है कि कानून के साथ साथ इसका वास्तविक स्वरूप क्या है इसके ऊपर भी नजरदौड़ाई होगी। शायद उनकी ऐसी नजर उस तथ्य की और नहीं पहुंची जिस तथ्य के कारण सरकार को यह आवश्कता पड़ी कि प्रसव काल के

Page No.36

[श्री भैरूसिंह]

बाद किसी स्त्री को ४ हफ्ते तक किसी काम पर क्यों नहीं लिया जाय। यह चीज न मेडिकल ज्युरिस्प्रडेन्स के आधार पर जानी गई है और न आयुर्वेदिक आधार पर जानी गई है। मेरे पास यह दोनों पुस्तकें इस वक्त मौजूद हैं। मेडिकल ज्युरिस्प्रुडेन्स का एक पेज, यदि आप इजाजत दें तो मैं सारे का सारा अपने स्पष्टीकरण में पढ़कर सुनाऊं और यदि आपकी इजाजत नहीं हो तो उसके भाव बतला दूं। भावों से इतना मालूम हो सका है कि मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स के आधार पर किसी स्त्री का प्रसवकाल कम से कम ६ वीक से पहले काम नहीं करना चाहिये। इससे मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स के आधार पर दो प्रकार से नुकसान होता है, एक तो उस स्त्री की तन्दुरुस्ती और दूसरे उस बच्चे की तन्दुरुस्ती जिसका उसने जन्म दिया है, खराब हो जाती है। यह मानी हुई बात है कि किसी स्त्री की तन्दुरुस्ती खराब होते ही उसकी तन्दुरुस्ती का असर उस पर स्वयं पर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस बच्चे पर भी जिसको कि उसने जन्म दिया है विशेष तौर से पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्त्री वापिस दुबारा काम में लग जाती है या दुबारा मेहनत का काम करना प्रारम्भ कर देती है तो उसका नतीजा यह होगा कि उसकी तन्दुरुस्ती खराब होगी और उसके साथ ही साथ बच्चे की तन्दुरुस्ती खराब होगी।

दूसरी, आयुर्वेदिक दृष्टि से दो श्लोक पढ़ कर सुनाता हूं, और जो कुछ मैंने संशोधन रक्खा है वह इन तथ्यों से समर्थित है। भावप्रकरण के पेज ६६ पर जो श्लोक है वह इस प्रकार है:—'प्रसूता साधर्मासान्ते दृष्टे वा पुनरार्तवे सूतिका नामहिनास्यादिति धन्वन्तरेमंतम् व्युपद्रवा विशुद्धांच विजाय वरेवर्णनीम उर्ध्व चतुर्भ्यो मासेभ्यो नियमं परिहारयेत'। इसका मतलब यह है कि प्रसवकाल के पश्चात् स्त्री को कम से कम ४ मास तक आराम करना चाहिये। यदि ४ मास तक आराम नहीं करती है तो उसकी वह शिशु को जन्म देने की शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि यदि उसके बाद वह दूसरे शिशु को जन्म देगी तो वह बच्चा ऑटोमेटिकली कम शक्ति वाला होगा। यह सिद्धान्त धन्वन्तरी का है। यह सिद्धान्त ऐसा नहीं है कि मामूली सी पुस्तिका में लिखा हुआ हो कि उसको इग्नोर (ignore) कर सकें।

दूसरा श्लोक जो है वह सुश्रुत संहिता से है जिसको कि आपके आयुर्वेदिक विभाग ने मान्यता दे रखी है, जिसके आधार पर राजस्थान आयुर्वेदिक डिपार्टमेन्ट काम कर रहा है। उसमे यह है:—'अनेन विधिनाध्यर्थ मास भुक संस्कृता विमुक्ता हारा पारा विगत सूतिका भिधाना स्यात पुनरार्तव दर्शनादित्येका"।

इसका मतलब यह है कि यदि किसी खास कारण की वजह से स्त्री को ४ मास तक का अवकाश नहीं मिल सकता है, अपने जीविकोपार्जन के कारण इस प्रकार से प्रसव के पश्चात् ४ मास का अवकाश नहीं ले सकती है तो कम से कम डेढ़ महीने का तो अवकाश उसको लेना ही चाहिये।

इन्हीं तथ्यों के ऊपर मैंने अपना संशोधन रखा है। मैं माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्स और आयुर्वेदिक विभाग द्वारा मान्य धन्वन्तरी के सिद्धान्त के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार कम से कम ६ वीक्स का समय उसमें निर्धारित कर दें ताकि उस स्त्री की तन्दुरुस्ती को ठीक करने की सारी मन्शा पूरी हो।

[श्री भैरूंसिंह]

दूसरा जो एमेंडमेंन्ट है वह सब क्लॉज (२) को डिलीट करने का है । अध्यक्ष महोदय, यह सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि रिश्वत के लिए २ प्रकार की धारायें हैं । एक वह मुल्जिम है जो कि रिश्वत देता है और दूसरा वह मुल्जिम है जोकि रिश्वत लेता है । उसका नतीजा क्या होता है कि रिश्वत देने वाला होगा अगर वह शिकायत करता है तो वह मुल्जिम और अगर वह रिश्वत लेने वाला शिकायत करता है तो वह भी मुल्जिम ; नतीजा क्या होता है कि रिश्वत की शिकायत नहीं होती है, उसी तरह की दोनों धारायें यहां पर रख दी गई हैं । फैक्ट्री में नोकर रखने वाला भी मुल्जिम और जो स्त्री अपने आपको नौकर रखाती है वह भी मुल्जिम । इसका नतीजा यह होगा कि न फैक्ट्री का मालिक शिकायत करेगा और न वह स्त्री भी नौकरी करती रहेगी । ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य जानेगें कि वे किस तरह से इस समय के लिए उस स्त्री को दूसरी बाधाओं से मुक्त कर सकेंगे । यदि दोनों कोरेसपोन्डिग धारायें रहती हैं तो हम उनको उससे मुक्त नहीं कर सकेंगे । फेक्ट्री वाले को लालच हो और मुमकिन हो कि वह स्त्री भी लालच मे आ जाय तो दोनों एग्रीमेन्ट कर लें कि मैं शिकायत नहीं करूं तो तेरे पर इल्जाम नहीं लग सकेगा और तू शिकायत नहीं कर तो मुझ पर इल्जाम नहीं लग सके इसलिए न तो वह स्त्री उससे मुक्ति लेने का प्रयास करेगी और न फेक्ट्री का मालिक ही उसको मुक्त करने का विचार करेगा । यदि दोनों ही बातें रहती है, दोनों ही स्थिति रहती है तो मैं मानता हूं कि यह संशोधन वाकई जरूरी है । मंत्री महोदय विचार करके मेरे संशोधनों को स्वीकार करें तो अच्छा है ।

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)--माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन पेश किये गये हैं वे कतई अव्यवहारिक हैं और कम से कम जो फैक्ट्रीज एक्ट हैं और फैक्ट्रियां कायम हुई हैं और महिलायें उनमें काम करने के लिए जाने लगी हैं उसके बाद ही तो यह प्रश्न आता है । इसलिये "after this Act comes into operation" यह शब्द निहायत जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्ट ही व्यवहार में नहीं आता है तो उसके पहले मामला नहीं चलता है ।

किसी साहब ने यह भी कहा था कि इस एक्ट में शब्द "knowingly" रिडन्डेन्ट (redundent) मानकर हटा दिया जाय । लेकिन यह हो सकता है कि कोई ऐसा एम्प्लायर भी होता है कि वह किसी महिला के बारे में नहीं जान सके और यह मुमकिन हो सकता है कि उसको प्रसव के बाद ४ हफ्ते गुजरे या नहीं और वह उसके यहां काम पर आ जाय ; यह जान कर भी कि उसे प्रसव हुए ४ सप्ताह नहीं गुजरे और यह जानते हुए भी वह रखता है तो जरूर सजा का बायस हो सकता है । लेकिन अनजान में, अज्ञानता में उसके यहां वह रह जाती है तो ऐसी सूरत में तो उसको सजा देना, चाहे वह केपिटलिस्ट (capitalist) हो, चाहे वह बड़ा भारी आदमी हो, क्योंकि समाज मे सब तरह के आदमीं होते हैं, वह भी होते हैं कि बडा भारी अत्याचार, जुर्म करते हैं, कई २ काम ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी कानून के संबन्ध में यह बात होती है कि वह सब पर बराबर है, और उसके आधार पर उनको सजा दी जाती है । "knowingly" इसमें से हटा देने से इसका मतलब यह हो जाता है कि चाहे अज्ञानता से हो, चाहे वह यह नहीं जानता हो कि हमारे यहां कोई महिला प्रसव से बाद ४ सप्ताह के पहले ही काम कर रही है तो सजा का बायस होगा । प्रसव के बाद चार सप्ताह के पहले काम पर जायेंगी तो सजा के लायक होंगी । यह महिलाओं का मामला

[श्री रामकरण जोशी]
है इसलिये यह चीज रखनी आवश्यक है। पहला और दूसरा, दोनों को रखने से मतलब खफ्त हो जाता है जैसा कि रिश्वत देनेवाला और रिश्वत लेने वाले का है, लेकिन यह सवाल रिश्वत देने व रिश्वत लेने का नहीं है। सवाल यह है कि इससे महिलाओं को जो सुविधाएं प्राप्त होने की हैं वे घर बैठे उन्हें प्राप्त हो सकती हैं। रिश्वत देने का इसमें कोई सवाल नहीं है। यदि कोई ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो अपने आप मामला सामने आवेगा। फेक्ट्रीज़ में फेक्ट्री इन्सपेक्टरस् हैं, लेबर आफिसर्स हैं, वे सब इन बातों को देखेंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं यह एमेन्डमेन्ट बेकार है।

चार सप्ताह की छुट्टी के बारे में यह निवेदन है कि हिन्दुस्तान के जिन जिन सूबों में यह कानून लागू हो चुका है वहां पर इतनी ही छुट्टी रखी गई है; जैसे बंगाल में चार सप्ताह की छुट्टी रखी गई है, सी. पी. में चार सप्ताह की छुट्टी रखी गई है, बिहार में चार सप्ताह की छुट्टी रखी गई है, मद्रास में भी चार सप्ताह की छुट्टी रखी गई है। कहने का मतलब यह है कि जहां जहां मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट लागू है वहां पर चार सप्ताह की ही छुट्टी है। किसी सज्जन ने विदेश की बात कही। वह मेरे समझ में नहीं आई। लेकिन हमारे देश के सभी सूबों में चार सप्ताह की छुट्टी ही रखी गई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मूल क्लॉज को मंजूर करना चाहिये और अमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहिये।

श्री भैरूंसिह--माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्रीजी ने मेरे संशोधन के उत्तर में बताया कि भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों में इसी प्रकार का कानून है और उन सब में चार वीक्स का समय ही निश्चित किया गया है। लेकिन में मन्त्रीजी की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अन्य जितने भी प्रान्त हैं उन सब की जलवायु अलग अलग तरह की है। राजस्थान का जलवायु उन प्रान्तों की अपेक्षा अधिक गर्म है और उनका जलवायु राजस्थान की अपेक्षा अधिक ठंडा है। जलवाय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में किस प्रकार की सुविधा देनी चाहिये, यह सोचने की बात है। कानून बनाते समय अगर आप स्पष्टत: यह बतला दें कि क्योंकि यू. पी., सी. पी. आदि स्थानों में चार सप्ताह की अवधि रखी गई है इसलिये राजस्थान में भी इतनी ही रखी जायगी और जलवायु आदि की हालत का ध्यान नहीं रखा जायगा, तो अलग बात है।

श्री अध्यक्ष--Now the question is that Amendment No. 29 to Clause 4 (1) of Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that the amendments moved by Shri Bhairon Singh to Clause 4 be accepted.

(अस्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The amendments are lost.

(विराम)

Now the question is that Clause 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill

(विराम)

Clause 5, Shri Bhairon Singh

श्री भैंरू सिंह—क्लॉज ५ के सब-क्लॉज (१) में मेरा पहला अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

"In sub-clause (1), third line, delete the words 'twelve annas a day,' and substitute in thier place the words 'one rupee a day plus her usual wages.' "

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में लिखा है कि:—

"Subject to the provisions of this Act, every women employed in factory shall be entitled to the payment of maternity benefit at the rate of twevle annas a day for the actual days of her absence for the period immediately preceding her confinement and for the four weeks immediatily following her confinement as mentioned in sub section (2)"

इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जब अन्तर्गत मेटर्निटी बेनिफिट दे रहे हैं तो उस समय उस स्त्री को उसकी उ. वेजेज या तनख्वाह है वह मिलेगी या नहीं। एक तरफ हम ऐसा कानून बना रहे हैं कि कोई भी स्त्री जब उसका प्रसवकाल आवे उससे चार सप्ताह पहले सरविस नहीं कर सकती और प्रसवकाल के पश्चात पूरे चार सप्ताह तक काम नहीं कर सकेगी। और काम नहीं कर सकने की सूरत में हम उसको देंगे केवल बारह आने रोज। आप अन्दाज लगाइये कि एक स्त्री जिसका खाविन्द लूला-लंगड़ा है और कोई काम नहीं कर सकता है और इसी कारण से उसकी स्त्री मुलाजमत करती है और उसके घर का सारा खर्च उस स्त्री के जुम्मे रहता है और क्योंकि प्रसवकाल में आप चार सप्ताह पहले और प्रसव के बाद चार सप्ताह तक वह काम पर नहीं आ सकेगी तो ऐसी सूरत में पूरे आठ सप्ताह तक उसके भरण पोषण का कोई जरिया नहीं रहेगा सिवाय उन बारह आना रोज के जो आप उसको देंगे। मान लीजिये कि उस स्त्री के चार बच्चे हैं और उसका खाविन्द लूला-लंगड़ा है तो उस स्त्री का बारह आना रोज में किस तरह से जीवन निर्वाह होगा? यह कितनी मुश्किल चीज है? बारह आने रोज में तो एक बच्चे का भी पालन नहीं हो सकता। यदि उक्त क्लॉज का मतलब यह है कि डेली वेजेज और बारह आना रोज रखा है तो फिर भी ठीक है। मेरा संशोधन यह है कि युजुअल (usual) वेजेज और एक रुपया रोज और उसे मिले तो उसको प्रसवकाल में जो विशेष खर्चा करना पड़ेगा वह

[श्री भैरूंसिंह]

पूरा हो जायगा और उसके परिवार का खर्चा भी पहले की तरह से चलता रहेगा। किसी स्त्री का प्रसव-काल जब आता है तब उसमें एक प्रकार की वीकनेस भी आजाती है जिसके कारण उस समय उसे अच्छा भोजन खाना पड़ता है। अच्छी खुराक का सवाल तो दूर रहा इन बारह आनों में तो उसके बच्चों को और खाविन्द को भी खिलाना पड़ेगा और खुद भी खायेंगी तो इससे उसकी हालत बदतर हो जायगी। इसलिये मैंने निवेदन किया है कि उसको युजुअल वेजेज़ के साथ एक रुपया और दिया जाय तो अच्छा रहेगा। फैक्ट्रीज़ में वही स्त्रियें काम करेंगी जो निहायत गरीब हैं। जिनको मेटर्निटि बेनिफिट की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्त्रियां फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगी। गरीब स्त्रियें ही फैक्ट्रीज में काम करती हैं ताकि उनको काम करने से जो धन मिले उस धन से अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। यदि आप उनको ८ हफ्ताह तक उस धन से वंचित करेंगे तो यह किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होगा। इसी कारण से मैंने बारह आने की जगह एक रुपया युजुअल वेजेज़ (usual wages) के अलावा करने और बारह आने डिलीट करने का अमेन्डमेन्ट रखा है।

इसी क्लॉज ५ पर मेरा दूसरा संशोधन है:—

"In sub-clause (1) third line, delete the words "the actual days of her absence for the perio'' a..d substitute the words "six weeks" in thier place. "

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ५ में लिखा है :—

"Subject to the provisions of this act, every woman employed in a factory shall be entitled to the payment of maternity benefit at the rate of twelve annas a day, for the actual days of her absence for the period immediately preceding her confinement and for the four weeks immediately following her confinement as mentioned in sub-section (2)."

अभी हमने क्लॉज़ ४ के जरिये इसको मान लिया है कि किसी स्त्री को प्रसवकाल के बाद ४ हफ्ते तक मुलाजमत में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद में कन्फ्यूजन मिटाने के लिये मेरा यह ६ वीक्स का संशोधन है, उसको माना नहीं तो मैं "Four weeks" के पोइन्ट को ही सामने रखते हुए कहूंगा कि "Four weeks" ही काफी होंगे। इसका मतलब "Four weeks" से सिद्ध हो जायगा और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा।

इसके बाद मेरा संशोधन है:—

"In sub-clause (1), fifth line, substitute the word "six" in place of "four".

Then my further amendment is: "Delete the last sentence of sub-clause (1) ans insert the following sentence in its place :-

"This provision shall also apply in the event of miscarriage".

[श्री भैरू सिंह]

अभी कहा गया था कि ३ वीक की जगह १ मिस्प्रिंट होगया।

अध्यक्ष महोदय, एक स्त्री का प्रसवकाल शान्तिपूर्ण ढंग से पूरा हो गया और दूसरी का मिस हो गया तो वास्तव में देखा जाय तो तकलीफ और परेशानी दोनों की बराबर होती है, जो परेशानी शान्ति के प्रसवकाल के समय होती है वही मिसकेरेज के समय भी होती है। इसलिये ३ वीक्स की जगह ४ वीक्स कर दिया जाय, इससे मेरा मतलब अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसीलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि मिस केरेज होने की हालत में भी यह कानून लागू होना चाहिये।

चौथा संशोधन यह है :

"The proviso to sub-clause (1) be deleted".

प्रोवीजो में यह है :

"Provided that a woman shall not be entitled to maternity benefits unless she has been employed in the factory of the employer from whom she claims maternity benefit for a period of not less than nine months immediately preceding the date on which she gives notice under sub-section (1) of section 6."

इसके द्वारा यह कहा गया है कि उसी स्त्री को मेटर्निटि बेनफिट दिया जायगा जो नोटिस देने की तारीख से ९ महीने पहले मुलाजमत में ली गई हो। इसका मतलब यह है कि एक तरफ तो हम उन तमाम स्त्रियों को बेनिफिट देना चाहते हैं जो फेक्ट्रीज में काम करती हैं और वह इसलिये कि स्त्री-समाज में इस प्रकार की काफी वेदना है और गरीब स्त्रियों को, जो फेक्ट्रीज में काम करती हैं उनको सहायता दें और दूसरी तरफ साथ साथ यह लिख दें कि ९ महीने की मुलाजमत पूरी नहीं की हो तो उसको यह बेनिफिट नहीं दिया जायगा। मान लीजिये एक फेक्ट्री में काम करने वाली एक स्त्री को पांचवे या छठे महीने में फेक्ट्री के मालिक ने निकाल दिया और वह दूसरी फेक्ट्री में काम करने लग गई तो उसको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा या मान लीजिये प्रसवकाल के ३ या ४ महीने में उसकी नौकरी किसी फेक्ट्री में लगी तो उसको जो फायदा हम दिलाना चाहते हैं वह इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किये बगैर नहीं दे सकेंगे; इससे उस स्त्री, उसके बच्चे और समाज पर बुरा असर पड़ेगा।

चौथो बात यह है कि सब क्लॉज ,जो इस प्रकार है, में जहां "four" हैं वहां "Six" कर दिया जावे और जहां 'eight' है वहां 'twelve' कर दिया जावे—

"The maximum period for which any woman shall be entitled to the payment of maternity bebefit shall be eight weeks, that is to say, four weeks upto and including the day of her delivery and four weeks immediately following that day. If a woman dies during this period..."

सब क्लॉज़ (टू) में मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है:—

In sub-clause (2), line four, after the word "period" insert the following words :-

"and the child also dies"

[श्री भैरोंसिंह]

इसके साथ सब क्लॉज (२) में मेरा यह भी संशोधन है:—

"Add the following words at the end of this sub-clause, and if the child survives, full maternity benefit for twelve weeks plus her wages shall be payable."

मेरा ४ वीक्स का अमेन्डमेन्ट मन्जूर कर लिया है इसलिये मैं इन्हें प्रेस नहीं करता हूं।

श्री भैरोंसिंह—मेरा जो अमेन्डमेन्ट क्लॉज ५(१) के प्रोविजो को डिलीट करने की बाबत है, उस पर कुछ अर्ज करूंगा। इस प्रोविजो में टाइम की लिमिट दी हुई है कि ६ महीने कारखाने में रहे, फिर बाद में डिलीवरी होती हो उस सूरत में उसे बेनिफिट मिलेगा। इसके लिये मैं समझता हूं कि यह नावाजिब है और इसका गलत फायदा उठाया जायगा। एक स्त्री कारखाने में है और चार महीने उसके प्रसवकाल में बाकी हैं तो उसको उस फैक्ट्री का मालिक नौकरी से हटा सकता है। क्योंकि इस बिल में ६ महीने का टाइम दिया हुआ है, वह स्त्री वहां से हटाई जाकर दूसरे कारखाने में नौकरी करना शुरू करती है तो उसके प्रसवकाल में ५ महीने ही बाकी रहते हैं। ऐसी सूरत में इस प्रोविजो के माफिक फैक्ट्री का मालिक उस स्त्री को एक पाई भी नहीं देगा और इस तरह इस स्त्री के साथ यह ज्यादती होगी। इसी ज्यादती को हटाने के लिये और उसे बेनिफिट मिल सके इसलिये मैंने इस प्रोविजो को डिलीट करने के लिये संशोधन रखा है।

दूसरा मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"The following proviso be added to sub-clause (2) :-

'Provided that on production of a medical certificate of confinement, if a woman takes more than four weeks for delivery she will also be entitled for maternity benefit for the exceeding days at the same rate'."

इसमें आठ हफ्ते की सहूलियत दी गई है, ४ हफ्ते डिलीवरी के पहले और ४ हफ्ते डिलीवरी के बाद में। बाद में जो टाइम दिया गया उसके लिये कुछ नहीं कहना है। ४ हफ्ते जो डिलिवरी के पहले बंदिश रखी गई है तो उसमें ५ हफ्ते भी लग सकते हैं। यह कोई मैकेनीकल प्रोसेस तो है नहीं कि बटन दबाया और हो गया, यह तो एक बायोलोजीकल फ़ैक्टर है। इसमें ५-७ दिन इधर उधर होना मामूली बात है। यदि स्त्री ५ हफ्ते ले लेती है तो बाकी एक हफ्ते का फ़ायदा नहीं मिलना ज्यादती की बात है और उसको इस ड्युरेशन (अवधि) में एक फ़ायदा मिलना वाजिब है। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है।

इसमें खासतौर से मैंने मेडिकल सर्टिफ़िकेट के शब्द रख दिये हैं ताकि कोई उसमें कमी गोल-माल नहीं करदे। डाक्टर का सर्टिफ़िकेट होगा और डाक्टर उसके लिये जिम्मेवार भी हो सकता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह प्रोविजो मानने क़ाबिल है।

तीसरा अमेन्डमेन्ट यह है :—

"In clause 5(4) the words 'rupees fifteen 'be substituted for Rs. 5/- in the first line" इस बिल के अन्दर क्लॉज ५ की सब क्लॉज (४) में जो रक़म रखी गई है वह रुपये पांच है ताकि

[श्री भीमसिंह]

उसको उस अवधि काल में भी कोई नर्स, लेडी डाक्टर या कोई होशियार दाइन को बुलाने की आवश्यकता हो तो दे दिये जावें। यह ५) रुपये की तादाद इतनी कम है कि इससे किसी हालत में काम नहीं चल सकता है। माननीय मंत्रीजी ने देखा होगा और मालूम होगा कि ५) रुपये तो मामूली डाक्टर या लेडी डाक्टर या कोई एक्सपर्ट नर्स एक ही दफे आने के चार्ज कर लेती है। ऐसी हालत में यदि किसी की दो चार विज़ीट हो जाए तो इन ५) रुपयों में उसका काम कभी नहीं चल सकेगा। यह ५) रु० की फ़ीस बहुत अनुचित है और इसलिये मैंने इसके बजाय १५) का अमेन्डमेन्ट रखा है और मैंने यह १५) रुपये वाजिब रखे ह। क्योंकि ४ सप्ताह में उसको मेडिकल एड की ज़रूरत पड़ती है तो ५) रुपये बहुत कम हैं। इसके अलावा मैंने अपने अमेन्डमेन्ट में किसी डिस्प्यूट से बचने के लिये फ़र्स्ट लाइन में ये संशोधन भी रखा है :

"The words 'on production of a birth certificate' be inserted between the words 'given' and ' to a woman' in the first and 2nd line".

ऐसी सूरत में इस सब क्लॉज़ का कोई मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। उसको मेडिकल सर्टिफ़िकेट लाना होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री भेरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले सब क्लॉज़ (दो) पर ही कहा था और अब सब-क्लॉज़ (३) और (४) पर बोलना चाहता हूं।

सब-क्लाज़ (३) में मेरा अमेण्डमेन्ट इस प्रकार है:-–

"Delete the words 'without sufficient cause,"

अध्यक्ष महोदय, सब-क्लॉज़ (३) में लिखा है :

"No notice of dismissal given without sufficient cause by any employer to a woman within the period of pregnancy shall have the effect of depriving her of maternity benefit."

इस धारा में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उन औरतों को उनके उन अधिकारों से वंचित नहीं करेगा जो उनको मेटर्निटी बेनिफिट के अनुसार मिलने का हक है और उनको बरखास्त नहीं करेगा बगैर सफिशियेन्ट कॉज़ (पर्याप्त कारण) के। अध्यक्ष महोदय, आजकल यह एक आम चीज है कि मालिकों और मजदूरों के आपस में झगड़े चलते ही रहते हैं; कभी बोनस के और कभी बेरोजगारी के और कभी कोई दूसरे झगड़े चलते ही रहते हैं। इसके अलावा लोग बेकारी की समस्या को देखते हुए फैक्ट्रीज़ को छोड़ कर भी जाना नहीं चाहते और उनको मजबूरों की हालत में भी नौकरियें करनी पड़ती है। ऐसी मजबूरी की हालत में नौकरियें करने वालों के साथ मालिक नाराज होकर यह कह दें कि हमें इनको मेटर्निटी बेनीफिट नहीं देना है, तो वह कोई न कोई कारण निकाल कर उसको बरखास्त कर सकता है हालांकि कानून में "विदाउट सफीशियेन्ट कॉज"(बिना पर्याप्त कारण)लिखा है। वे लोग यह कह सकते हैं कि गैरहाजरी की सूचना वक्त पर नहीं पहुंची या कोई दूसरा बहाना बना कर

Page No.44

[श्री भरूसिंह]

कह सकते हैं कि तुमको बरखास्त किया जाता है और उसको अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इस प्रकार के शब्दों से तो फैक्ट्रीज़ के मालिकों को हुकूमत करने का अधिकार देना है।

मेरा दूसरा अमेन्डमेन्ट है वह ५) के बजाय २५) रुपये करने का है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ५) रुपया जो मिडवाइफ़ की राय लेने के लिये रखे हैं या किसी दाइन को बुलाना चाहें तो उसकी फ़ीस के लिये रखे हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत कम हैं। मामूली से मामूली कम्पाउन्डर भी एक दफ़े मकान पर आने के १०) रुपये तलब करेगा और हम कहते हैं कि यदि किसी Midwife को लावें तो उसको महज़ ५) मदद के रूप में देंगे। एक तरफ़ आप इस बात को मंजूर करते हैं कि वे ग़रीब हैं इसलिये उनकी मदद करनी चाहिये और उनके प्रसव काल में यदि आवश्यकता हो तो किसी मिड वाइफ को बुलाया जा सकता है परन्तु हम उसके लिये सिर्फ़ ५) रु० देंगे। यह प्रसवकाल का समय औरतों के लिये मामूली खतरनाक समय नहीं, यह इस प्रकार की बीमारी है जिसमें आज राजस्थान में ही नहीं सारे भारत-वर्ष में बहुत ज्यादा हो गई है और मौतों का तांता दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह तांता मालदारों के लिये नहीं बल्कि ग़रीबों के लिये बढ़ता जा रहा है क्योंकि मालदार तो अच्छी से अच्छी मिडवाइफ़ को प्रसवकाल से ५-७ दिन पहले से ही बुला सकता है, मगर ग़रीबों के पास पैसा नहीं इसलिये मौतों का तांता ग़रीबों में लगा रहता है। ५) रुपये में न तो कोई अच्छी नर्स या लेडी डाक्टर आवेगी और अगर कोई आवेगी तो ऐसा काम करेगी जिससे मौत का अंदेशा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि ५) के बजाय २५) रुपये किये जावें।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, जो क्लॉज़ हाउस के सामने बहस के लिये प्रस्तुत है और उस पर जो अमेन्डमेन्ट पेश हुए और उन पर बहस हुई मेरे ख़याल से मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने जो बातें बताई हैं वे ठीक हैं।

मैं दूसरे प्रान्तों में दी गई सुविधाओं के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि जहां दूसरे प्रान्तों में आठ आने रोज़ रखे हैं वहां हमने १२ आने रोज़ के लगाये हैं। यानि दूसरी जगह जो सुविधाएं वर्कर्स को मिलती हैं उससे ज्यादा सुविधाएं दी हैं। इसलिये यह कहना कि १२ आना कम होंगे, ठीक नहीं। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि अगर माननीय सदस्य चाहें तो :—

"Substitute the following for the words 'twelve annas a day' after the words 'at the rate of' in sub clause (1)—average daily earning or twelve annas a day, which-ever is greater".

इस रूप में इसको स्वीकार किया जा सकता है। यह तो हो ही नहीं सकता कि वर्क भी नहीं करे और कम्पेन्सेशन भी ले। यह जो बेनिफिट दिया जा रहा है वह इसलिये दिया जा रहा है कि घर बैठे रोज़ १२ आने उसे उन दिनों के लिये जाने चाहिये क्योंकि अब तक तो उनको कुछ नहीं दिया जाता था। यह तो हो नहीं सकता कि मालिक १२ आना भी दे और उसको उस दिन का वेतन भी दे। यह बात न्याय संगत नहीं है। अभी तक हमारी सरकार ने ऐसी नीति नहीं अपनाई है कि जिसके पास ज्यादा

Page No.45

[श्री रामकरण जोशी]

पैसा हो उसको उससे छीन कर कम पैसे वाले को दे दे और जब तक उस सिद्धान्त को नहीं अपनाया जाता है तब तक हमें जो मौजूदा समय में सिद्धान्त चालू हैं उसी पर चलना है। खाली भावनाओं को प्रस्तुत करने से काम नहीं चल सकता। बात तो वही होनी चाहिये जो न्याय-संगत हो और की जा सके। इसलिये जो भी वाजिब हो वह सबको मिलना चाहिये। अगर माननीय सदस्य इसे मंजूर करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं लेकिन

श्री भैरूंसिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री रामकरण जोशी—इसके अलावा मैं आपको इतना और आपकी सूचनार्थ बता देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी सूबे में एक सप्ताह और किसी में दो सप्ताह का समय रखा गया है और किसी भी जगह दो सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं दिया है, लेकिन हमने तीन सप्ताह रखे हैं। हम सब जगहों से ज्यादा सुविधाएं दे रहे हैं।

प्रोविजो में ६ महीनों के बजाय ७ महीने में स्वीकार करता हूं। आप सब ही जानते हैं कि जो कोई भी आदमी जिन्दगी में सर्विस करता है वह किसी एक जगह यदि नहीं रहता है तो वह एक जगह से दूसरी जगह हटता, घूमता-फिरता पहुंच जाता है और वह जहां पर सर्विस कर लेता है वहां यदि पांच साल तक सर्विस नहीं कर लेता है तो पेन्शन का हकदार नहीं हो सकता है और उस को पेन्शन नहीं मिल सकती है। इसलिए यह बात न्याय संगत नहीं मानी जा सकती है कि जहां वह सर्विस करेगी, जिस फेक्ट्री में वह सर्विस करेगी पांच साल में यदि अवधि बाकी होगी तब भी उसको मेटर्निटी बेनिफिट मिल जायगा। इसका स्पष्ट मतलब यह हो जायगा कि उसको आगे कोई भी एम्प्लोयर एम्प्लोय नहीं करेगा क्योंकि उसको निश्चित अवधि के पहले यह नोटिस देना पड़ेगा कि उसको मेटर्निटी बेनिफिट की आवश्यकता होगी। दूसरी जगह पर ६ और ८ महीने हैं किन्तु हमारे यहां सात महीने पहले ही प्रसव की सूचना मांग ली जाय तो वे सब बेनिफिट मिल जावेंगे। अतः यदि आपको स्वीकार हो तो सात महीने कर दिए जायें।

इसके बाद ६ के बजाय ४ उन्होंने मान लिया है।

श्री अध्यक्ष—सब क्लॉज (२)।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासन मंत्री)—सब क्लाज दो के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं।

सब क्लाज (३) और (४) के बारे में जो अमेन्डमेन्ट्स पेश किए गए हैं वे वाजिब मालूम नहीं पडते हैं। क्लाज (३) और (४) में जो सुविधाएं हैं वे दूसरी जगह, "without sufficient cause" के कहीं इस प्रकार का प्रोविजो नहीं है। हमारे यहां तो बिना किसी स्पेशल काज के बताए ही यह मान लिया गया है; जो संरक्षण मिला है वह रहना ही चाहिए। इसके अलावा मिडवाइफ को पांच रुपये के बजाय अधिक बोनस दिए जाने का जो सवाल रखा गया है वह मैं वाजिब नहीं समझता हूं।

[श्री रामकण जोशी]
१०) रुपया यदि कम्पाउन्डर्स की या नर्स की कन्सलटेशन के लिए फीस बताई जाय तो क्या स्पेश्यलिस्ट को बुलाया जायगा तो सौ रुपया दिया जावेगा ? जहां तक मुझे मालूम है, बड़े से बड़े डाक्टर की २८) रुपया फीस रखी गई है। पांच रुपया फीस कन्स्लटेशन के लिए देने का प्रोविजन कहीं नहीं है। हमारे यहां, दवा और नर्स को कन्सलट करना पड़े तो पांच रुपया रखा है। अतः मैं आपसे यही कह सकता हूं कि राजस्थान के मेटर्निटी बिल में जो सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं वे और कहीं नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लेंगे।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्लाज पांच के सब क्लाज (१) में यह मंजूर किए जाने पर कि १२ आना कि एवज में 'average daily wages or twelve annas a day, whichever is greater'. कर दिया जा सकता है ६ के बजाय ७ मन्थ्स कर दिये जावेंगे; इस आश्वासन पर मैं अपना क्लाज पांच के सब क्लाज (१) का संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—And the rest will stand ?

श्री भैरूंसिंह—Yes, sir.

श्री भीमसिंह—If these amendments are accepted, I request permission be given to withdraw my amendments.

श्री अध्यक्ष—The question is that the amendment proposed by the Minister-in-charge in the third line, of sub-clause (1) of clause 5 that:—

"Substitute the following for the words "twelve annas a day after the words 'at the rate of'.

'average daily earnings or twelve annas a day, whichever is greater,'' be accepted.",

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—'earnings' की जगह 'Wages' कर दिया जाय।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—Yes. The question is that the above amendment proposed by the Minister-in-charge be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—There is also an amendment about "three weeks" in place of "a week's" in the last sentence of sub-clause (1).

Page No.47

श्री अध्यक्ष—Yes. The question is that the amendment in the last sentence of clause 5(1) the words "a week's" be substituted by the words "three weeks" be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)—मैं सब-क्लॉज (१) पर के अपने संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow withdrawal.

(स्वीकृति प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री भैमसिंह—मैं मेरे संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासन मंत्री)—There is an amendment in the proviso to sub-clause (1) also.

श्री अध्यक्ष—Sorry. The question is that the amendment in the proviso to clause 5 (1) that the words "nine" be substituted by the word "seven", be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that the amendments by Shri Bhairon Singh on sub-clauses (2), (3) and (4) be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendments are lost.

(विराम)

Now the question, is that leave be granted to Shri Bhairon Singh to withdraw his amendments.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री भीमसिंह—मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं।

Page No.48

श्री अध्यक्ष—Now the question is that the Clause 5, as amendment, stand part of the Bill

(वी.त)

Clause 5, as amended, is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Now Clause 6. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष, मैं अमेन्डमेन्ट नं० ५९ मूव करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

In sub-clause (3) part (1) line two, after the words "Medical practitioner", insert the words "as also a Vaidya or Hakeem registered under the Rajasthan Indian Medicines Act, 1952 ".

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में ज्यादा न कह कर इतना सा ही कहूंगा कि आज कल हर स्थान पर रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर्स नहीं मिल सकते हैं और इस क्लाज के मातहत हमने जो तरीका रखा है उससे काफी दिक्कत पैदा हो सकती है। इसीलिये इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिए ही यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि इन्डियन मेडीसिन्स एक्ट, १९५२, के अन्तर्गत रजिस्टर्ड वैद्य और हकीमों के भी वे सर्टिफिकेट पेश कर सकती हैं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष—The question is that Amendment No. 59 moved by Shri Bhairon Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

Now the question is that Clause 6, as amended stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 6 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 7. There are no amendments to Clauses 7, 8 and 9. The question is that Clauses 7, 8 and 9 be accepted.

(स्वीकृत)

Page No.49

[श्री अध्यक्ष]

Clauses 7, 8 and 9 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 10. Shri Dileep Singh.

कर्नल श्री दिलीपसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज दस में एक तरमीम पेश की है और वह इस प्रकार है :

"The words 'or a single imprisonment for one month or both' be added at the end of this clause."

इस तरमीम को रखने का मेरा मकसद यह है कि जो भी उनको एम्प्लोय करेगा उनके लिए तथा जो एम्प्लोयमेन्ट लेगा उनके लिए भी, यानि दोनों के लिए, यह फायदे बन्द है।

श्री अध्यक्ष—क्या जेल जाना फायदे बन्द है ?

(हंसी)

कर्नल श्री दिलीपसिंह—मेरा इसको रखने का इतना ही मतलब है कि "Simple imprisonment" शब्द बढ़ा देने से काफी फायदा होजायगा। रिश्वत देकर एम्प्लोयमेन्ट लेने से वे बच जायंगी और वह केवल फाइन देकर बच सकेगा।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय अध्यक्षजी, यदि कोई एम्प्लोयर इस तरह की बात करेगा, इस प्रकार का तरीका अख्तियार करेगा तो मेरी समझ में नहीं आ सकता और मैं इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं। उसको वह जो डेली वेजेज (daily wages) मिलेंगी उसकी तादाद ज्यादा से ज्यादा ६०) रुपया होगी और उसके बजाय पांच सौ रुपया जो जुर्माना रखा गया है वह काफी है।

मैं समझता हूं कि यह ५००) का जुर्माना बहुत काफी है। पैसे के लिए ही वह यह काम करती है और पैसे का ही जुर्माना अगर कम होता है तो वह समझेगी कि चलो यह जुर्माना भर देंगे और पैसा उस पर ज्यादा होता है तो वह इसको ज्यादा जुर्माना समझेगा।

इसके लिए मैं कहता हूं कि आप यह संशोधन वापिस ले लें।

कर्नल श्री दिलीपसिंह—आपने जो फरमाया वह वाजिब है। पर जो इज्जतदार हैं उनके लिए तो यह भी बहुत काफी है। उनके लिए ५००) रुपये की जगह १००) रुपया भी रखलें तो भी ऐतराज नहीं। पर यह भी अगर आपको मन्जूर नहीं हो तो आज्ञा दीजिये मैं मेरा अमेन्डमेंट वापिस ले लेता हूं

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Dileep Singh to withdraw his amendment.

Page No.50

[श्री अध्यक्ष]

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री दिलीपसिंह—मैं अपना अमेन्डमेन्ट विथ्ड्रा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 10 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Clause 10 is added to the Bill.

(विराम)

Now we to come to Clause 11. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह—क्लाज ११ में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है—

"Delete this clause and renumber the following clauses accordingly."

अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना यह संशोधन पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करता हूं कि एक तरफ हमने इस प्रकार का कानून बना दिया कि कोई भी स्त्री प्रसवकाल के ४ सप्ताह पूर्व और ४ सप्ताह पश्चात् किसी भी जगह मुलाजमत नहीं कर सकेगी और किसी भी फैक्ट्री का मालिक उसे मुलाजमत नहीं दे सकेगा । यह कानून बनता है कि—"If any women works in any employment within four weeks from the date of her delivery she shall be conviction be liable to a fine not exceeding ten rupees". अर्थात् यदि कोई स्त्री किसी भी मेहनत का काम करती है प्रसवकाल के ४ सप्ताह बाद तक तो दस रुपये का जुर्माना तक उस पर हो सकता है ।

यह हम जानते हैं कि राजस्थान के मजदूरों की आर्थिक स्थिति क्या है । उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है और यह भी जानते हैं कि प्रसवकाल के समय में विशेष रूप से खर्चा करना पड़ता है । इसके लिए यह भी कानून बना दिया कि १२ आने अथवा उसके वेतन के हिसाब से जो दोनों में से ज्यादा होगा रोजगारी के रूप में जीवन निर्वाह के लिए दिया जावेगा। उसे यह नाकाफी है इसके नाकाफी होने के कारण यदि कोई स्त्री ऐसा काम करने लग जावे कि उसके शरीर पर कोई उस मेहनत का असर न पड़े, जैसे घंटा डेड़ घंटा बैठ कर चरखा चलाती है या बैठे बैठे दरजी का काम कर लेती है या किसी का कमीज सी देती है और इस तरह से आठ-दस आने पैसे कमा लिए तो उसको इस कनून के अन्तर्गत दोषी माना जा सकता है । उसको मेटर्निटी बेनिफिट मिलना चाहिये । इस तरह से आराम से किये जाने वाले काम करके अगर वह अपनी जीविकोपार्जन कर सकती है तो उसका बोझा हल्का होगा गरीबी के कष्ट से वह बच सकेगी ।

Page No.51

[श्री भैरूंसिंह]

इस तरह के मामूली से काम जिनसे शारीरिक मेहनत वह नहीं करती है या जिन कामों से उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता है वैसे काम करने की भी इस कानून में कोई गुन्जाइश नहीं रक्खी गई है। इस क्लाज़ से इस चीज पर एक तरह का बन्धन आ गया है।

श्री अध्यक्ष—ऐसे कामों का कोई जिक्र नहीं है ?

श्री भैरूं सिंह—ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—No, no. This is regarding employment in a factory and not "any employment". The preamble clearly says "to regulate the employment of woman in factories sometime before and some time after confinement." The whole Act relates to factories. You have not followed the intention of the whole enactment. If your proposition is accepted, the whole purpose is lost.

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—इसमें साफ साफ लिखा है

"If any woman works in any employment within four weeks of the date of her delivery......"

श्री भैरूं सिंह—अगर ऐसा नहीं है केवल फैक्ट्री में काम करने की रोक है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow withdrawal ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—Shri Dileep Singh.

श्री दिलीपसिंह (वि. सं. ३९)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लाज में अपनी तरमीम पेश करता हूं:

"The words 'after getting maternity benefit' be inserted between the words 'woman' and 'weeks' in the 1st and 2nd line."

यह शब्द बढ़ाने का मतलब यह है कि अगर उस पर दस रुपया फाइन किया जावेगा तो दस रुपया तो यह होगा और उधर जो बेनिफिट मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा।

मेरे संशोधन का इसलिए यह मतलब है कि अगर maternity benefit मिलने के बाद १०) रुपया फाइन किया जावेगा तो अच्छा होगा।

श्री जवानसिंह— श्री अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

The words "or total wages earned during such employment whichever is less" be added after the words "ten rupees" occuring at the end of this clause."

अब यह जो संशोधन रखा गया है उसमें यह बतलाया गया है कि अगर कोई भी स्त्री अपने ४ सप्ताह के वक्त में किसी दूसरी फेक्ट्री में काम करने चली जाती है और उस दूसरी फैक्ट्री से भी इसका वैजेज प्राप्त होजाता है या उसको पहली फैक्ट्री में भी उसको वेजेज मिल जाती है तो इस तरह जो स्त्री दूसरी जगह काम करने चली जाती है और इस तरह का जुर्म करती है तो उस सूरत में उसके ऊपर इस कानून की अवहेलना का जुर्म लगाया जावे अथवा नहीं ?

मेरी राय है कि यह दोष लगाया जाना कोई उसके साथ अन्याय नहीं होगा बल्कि उसके साथ न्याय होगा। आप काफी मौका देते हैं उसको। छुट्टी का वेतन उसे बराबर मिलता है। इसके अति-रिक्त घर पर बैठे वह कोई हल्का काम करना चाहे तो कर सकती है। वेजेज आप और उसको दिलाते हैं तो यह आप मदद करते हैं। इसके बावजूद भी इस अवधि में किसी दूसरी फैक्ट्री में काम पर जाना अनुचित है। इस कानून का जुर्म उस पर लगाया जाना आवश्यक है। आप उस पर जुर्माना कर सकते हैं। पर इसके बाद भी कुछ सहानुभूति की वह पात्र है, आज की इस हमारी दयनीय समाज की परि-स्थिति को देखते हुए। इसीलिए मेरा संशोधन है।

इस क्लाज (३) के आखिर में मैंने केवल इतने शब्द और जोड़ने का निवेदन किया है।

"or total wages earned during such employment, whichever is less"

अगर कोई स्त्री अपने अवकाश काल में जिसके लिए कि उसको वेजेज मिलता है दूसरी फैक्ट्री में काम करने चली जाती है तो यह उसके लिए न्यायोचित नहीं है। उसको इस शान्तिकाल में उसे काम करने के लिए नहीं जाना चाहिये क्योंकि उसे इस वक्त का वेजेज मिलता है, पर फिर भी वह चली जाती है तो वह गलती करती है। मैं इस चीज को मानकर आगे चलता हूं।

अगर उसका यह काम ठीक नहीं है तो उस सूरत में उस पर जुर्माने की कार्यवाही आवश्यक है। पर उसके साथ में आपको उस जुर्म को सहानुभति के साथ देखना पड़ेगा।

खास तौर से हमारे राजस्थान की सामाजिक परिस्थिति और उनकी आर्थिक परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो इन महिलाओं के साथ सहानुभूति दिखानी होगी। आपको यह देखना होगा कि आपकी इतनी सहायाता से उनका प्रसव के समय का काम चल सकेगा या प्रसूतिकाल के पश्चात् वह अपने बच्चे को और घर-गृहस्थी को बारह आने प्रतिदिन के हिसाब से चला सकेगी अथवा नहीं तथा वह अपने प्रसूति-काल के पश्चात् अपने घर का भार सहन कर सकेगी या नहीं, और तब अगर आप इस चीज को मानते हैं कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं; खासकर जो बारह आने ही रोज कमाती है।

अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और आप केवल १२ आने ही प्रतिदिन दिलवाना चाहते हैं तो क्या वह स्त्री जो ऐसी स्थिति में एक जुर्म करती है केवल इसलिए कि वह अपना, अपने बच्चे का

[श्री जवानसिंह]
और अपने घर का भरण-पोषण अच्छी तरह करना चाहती है, आपकी सहानुभूति की पात्र नहीं हो सकती ?

अगर आपकी सहानुभूति उसके प्रति है तो आप यह कर दीजिये कि बारह आने पाने वाली के लिए इस अपराध के लिए जुर्माना रखने का कोई क्लॉज मत रखिये। बल्कि अगर फैक्ट्री में काम करने जाती है और पांच-सात रोज या दस दिन काम करती है तो उन दस दिनों में जो भी मजदूरी उसे मिलती है उस मजदूरी तक ही आप उस पर सजा रखिये।

तो मेरे कहने का आशय यह है कि दूसरी जगह यदि काम करने के लिए कोई औरत जाती है तो वह जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने की नीयत से जाती है,जो(ज्यादा फायदा)खत्म कर दिया जाय। मेरा निवेदन है कि जो मजदूरी के लिए दूसरी जगह, अगर उसको उसके १० रुपये ज्यादा मिलते हैं तो उसका जुर्माना १०) रुपये तक ही सीमित क्यों किया जाय; उसको उतना जुर्माना किया जाय जितनी की मजदूरी उसने दूसरी जगह से प्राप्त की है। इस तरह से इस कानून की अवहेलना करने पर उसको सजा मिल जायगी और वह रकम जुर्माने के रूप में वसूल कर ली जाय। मेरा निवेदन यह है कि एक तरफ कानून को इफैक्टिव बनाने के लिए जब आपसे निवेदन किया जाता है आप केपिटलिस्ट को कानून भंग करने पर एक महिने की सजा नहीं देते हैं, आपका खयाल है कि ऐसा किया जायगा तो यह उनके साथ अनुचित होगा। दूसरी तरफ मजदूरनियों को, जिनको आप १२ आने प्रति दिन वेतन देते हैं अगर वे किसी जगह काम करने चली जाती हैं तो आप उन पर दस रुपये का जुर्माना रखते हैं। आपको इस विषय में सहानुभूति के साथ सोचना चाहिये; कानून में उनके लिये भी गुंजाइश रखिये। आशा है इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री रामकरण जोशी (स्वायन शासन मंत्री)—मैं इस भावना का स्वागत करता हूं लेकिन इस एक्ट की मंशा पर इस भावना से असर पड़ता है, इस बात का भी ध्यान अवश्य होना चाहिये। यह इसलिए पड़ता है कि प्रसवकाल में के समय और प्रसूतावस्था के बाद आराम मिलना चाहिये। अगर उस औरत को आराम नहीं मिलता है तो उसका असर उसके स्वास्थ्य पर बुरा पडता है और उससे भावी पीढी पर भी असर पड़ता है, यह बात सबने स्वीकार की हैं। इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि प्रसूतावस्था के पश्चात् अवकाश लेकर आराम करना चाहिये। उसके लिए ही तो इतनी पाबन्दियां लगाई गई हैं कि जिसपर अगर कोई एम्प्लोयर उसको देने से इन्कार करता है, आनाकानी करता है तो उस पर ५००) रुपये की सजा इस कानून में रख दी है जब कि उसको साठ रुपया ही देना पडता है। जब हम एम्प्लोयर को इतना पाबन्द करना चाहते हैं तो एम्प्लोई को भी पाबन्द होना चाहिये।

सिर्फ इसी लिहाज से कि कायदे की पाबन्दी करने में ढिलाई नही होनी चाहिये महिलाओं के बारे में जो जवानसिंह जी ने बहुत बडी बातें कहीं हैं उनके इस संशोधन को स्वीकार करता हूं "Or total wages earned during such employment, whichever is less" अब मैं समझता हूं कि इसके पश्चात् माननीय सदस्य अपने अपने संशोधनों को वापिस लेंगे।

Page No.54

श्री जवानसिंह—आप अगर इसको फिर दोहरायेंगे तो ठीक होगा।

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—"If any woman works in any employment within four weeks of the date of her delivery she shall be liable on conviction to a fine not exceeding ten rupees or total wages earned during such employment whichever is less". This is the amended Clause.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जो प्रोविजो पहले रख दिया गया है क्या उससे यह आशय है कि टोटल वेजेज ऑफ फैक्ट्री से मतलब है या उन वेजेज से वह औरत उस पीरियड में दूसरी फैक्ट्री में जाकर कमायेगी ? आपका आशय क्या है यह मैं समझ नहीं आया?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—आपका आशय जिससे है वही आशय मेरा है। आपका जिस प्रकार का अमेन्डमेन्ट है उसे मन्जूर किया जाता है।

श्री रामकरण जोशी—इसको रीड्राफ्ट (redraft)कर लिया जाय तो अच्छा है।

(परस्पर विचार-विमर्श)

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)— It should be redrafted. इसको ठीक बना लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री दिलीपसिंह को सम्बोधित करते हुए) Do you want to withdraw ?

कर्नल श्री दिलीपसिंह (विरोधी दल)—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Dalip Singh to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave has been granted.

श्री दिलीपसिंह—I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह को सम्बोधित करते हुए। This is only a penal clause and it should be left at the discretion of the Magistrate whether he fines rupees ten or more. The question of maternity benefit should not be mingled with this. It should have no connection with the benefits that she gets.

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन मंजूर तो हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें कानूनी अड़चन पैदा हो सकती हैं इसलिये यह ठीक है कि इसको मैं वापिस ले लूं। अतएव इसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

Page No.55

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Jawan Singh to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave has been granted.

श्री जवानसिंह—मैं अपना वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 11 stand part of the Bill.

(सर्वसम्मति से स्वीकृत)

Clause 11 is added to the Bill.

श्री अध्यक्ष—Clause 12. Shri Dileep Singh.

श्री दिलीपसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज १२ की सब क्लाज (१) पर यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

"The whole of this sub-clause be substituted by 'Every offence under this Act shall be cognizable.'

अर्ज करने का मतलब यह है कि इसके लिए जो इसमें लिखा गया है कि इन्सपेक्टर ऑफ फेक्ट्रीज की सेंक्शन के बगैर कार्यवाही नहीं की जायगी, तो मेरी समझ में यह आया है कि यह इन्सपेक्टर ऑफ फेक्ट्रीज के लिए एक अच्छा रिश्वत खाने को पेट भरने का कायदा बना लिया गया है। वह फेक्ट्रीज के मालिक हैं।

श्री अध्यक्ष—This is administerial control.

श्री दिलीपसिंह—It may be administerial control but I personally think that इन्सपेक्टर साहब की दावत बाजी होगी। बेनिफिट के लिये वह अच्छा नहीं होगा। मेरी समझ में अगर इसे कोगनीजेबल बना लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा और रिश्वत जो बढ़ेगी वह रुक जायगी।

(विराम)

मेरा दूसरा एमेन्डमेन्ट इसलिए है कि इसको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि यह कानों को अच्छा नहीं लगता ;

"No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence against this Act or any rules thereunder."

इसमें "against" के बजाय "under" कर दिया जाय।

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—"Against" ठीक है और यह जो इसी पर दूसरे प्रान्तों के कानून मेरे पास हैं उनमें सब में भी यह है। इसलिये अब कानों को ठीक लगने लगेगा।

श्री अध्यक्ष—It means, if somebody wants to challenge this.

श्री रामकरणजोशी (श्रम मंत्री)—यह अमेन्डमेन्ट कोई अहमियत नहीं रखता। फेक्ट्री के इन्सपेक्टर के बारे में यह बात जो कही गई है वह कोई होगी नहीं। फेक्ट्री इन्सपेक्टर इसलिये लगाये जाते हैं कि फैक्ट्री के लेबरर्स को आराम पहुंचे और फेक्ट्री में नियमों का पालन करा सकें। इसलिये यह जो शंका होती है वह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस एमेन्डमेन्ट को वापिस ले लें।

श्री दिलीपसिंह (विरोधी दल)—I withdraw my amendments.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Dileep Singh to withdraw his amendments.

(आज्ञा प्रदान की गई)

Leave has been granted.

श्री दिलीपसिंह (विरोधी दल)—I withdraw my amendments.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 12 stand part of the Bill.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

Clause 12 is added to the Bill.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Clause 13. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरूंसिंह—I do not want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 13 stand part of the Bill.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

Clause 13 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 14. Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा १४ की उपधारा (३) पर मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"The words 'beneficial to women' be inserted between the words 'matter' and 'for which' in the first line."

[श्री जवानसिंह]

इस धारा के अन्तर्गत हमारी सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ रूल्स बना सके, और उस अधिकार को मानकर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के तहत बेनिफिट केवल उन महिलाओं को ही दिया गया है जो फैक्ट्रीज में काम करती है और जिनको काम से आराम की आवश्यकता होती है। तो इस कानून के तहत मैं सरकार को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, रूल्स बनाने के, उसको भी इस हद तक सीमित करना चाहता हूं कि सरकार को केवल वे ही रूल्स बनाने की आज्ञा प्रदान की जाय जिसके तहत में वह केवल उन महिलाओं के फायदे के लिए ही रूल्स बनाये न कि सरकारी अफसरों के फायदे के लिये। उनके फायदे के लिये किसी तरह के रूल्स बनाये तो उनके बारे में और विरोध करता हूं और उसी भावना को सदन के सामने रखते हुये यह निवेदन करता हूं कि कहीं सरकार अपने हाथ में यह अधिकार लेकर केपिटलिस्ट का साथ देना ठीक नहीं समझ बैठें, और उनके फायदे के लिये, उनको कानून से बचाने के लिए रूल्स फ्रेम नहीं करे। और अगर सरकार अपने उन अफसरों को जो वह इस कानून के तहत मुकर्रर करेगी उनको ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में नहीं होगी। इन सारी बातो को मद्देनजर रखते हुये मैं सदन से यह निवेदन करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय जिससे आप सबको विश्वास हो कि आप वही रूल्स बनायेंगे। लेकिन इस बात में कि और जितने रेजिड्युअरी पावर्स (शेष अधिकार) अपने हाथ में रखते हुए उनके तहत कल जो सरकार रूल्स बनायेगी वह उन ही स्त्रियों के फायदे के लिए ही बनायेगी। मैं ऐसा सरकारी आश्वासन चाहाता हूं। इसलिये आशा है कि सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री रामकरण जोशी--मैं समझता हूं कि इस सारे एक्ट का ही मतलब यह है कि उन स्त्रियों को फायदा पहुंचे, मेटर्निटी बेनिफिट के लिए ही यह एक्ट बना है। इसके संबंध में सरकार अलग से जो रूल्स बनायेगी और उसके लिए आपने सदन में जो भावना जाहिर की उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप इसको वापिस ले लें क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं। यह सारा का सारा एक्ट बेनिफिट के लिए है। इसका और कोई मतलब नहीं है।

श्री जवानसिंह--मुझे दुख है कि आपने महिलाओं के फायदे के लिए जो कानून बनाया है उसमें महिलाओं को ही फायदा देने के लिए मने सदन से निवेदन किया है। उस पर भी आप गौर करने से इन्कार करते है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उन महिलाओ के फायदे के लिए कानन नहीं पास करना चाहते हैं। अतएव, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--The question is that the Amendment by Shri Jewan Singh to Clause 14 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विश्राम)

[श्री अध्यक्ष]

Now the question is that Clause 14 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 14 is added to the Bill.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Clauses 15 and 16.

(विराम)

The question is that Clauses 15 and 16 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 15 and 16 are added to the Bill.

(विराम)

Clause 17. Shri. Bhairon Singh.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)—I do not want to move my amendment.

श्री अध्यक्ष—The question is that Clause 17 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 17 is added to the Bill.

(विराम)

Clause 1, title, and preamble the enacting formula.

(विराम)

The question is that Clause 1, title, and the enacting formula stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, title preamble and the enacting formula are added to the Bill.

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—Sir, I beg to move that the Bill be passed.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Motion moved. (विराम) The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Rajasthan Maternity Benefit Bill, 1953, is passed.

राजस्थान भूमि विशेष सिंचाई प्रभार विधेयक, १६५३.

श्री चन्दनमल बैद—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to provide for the levy of special charges in respect of lands included in irrigation schemes be taken into considertaion.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री भैरूसिंह (पे.लवा)—अध्यक्ष महोदय, यह बिल इरिगेशन के लिये बहुत महत्व का बिल है। यह प्रसन्नता की बात है कि इसे ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब कि हमारे राजस्थान में सिंचाई के कार्य की बहुत आवश्यकता है। सिंचाई जितनी बढ़ाई जायगी उतनी ही हमारी आमदनी बढ़ेगी सिंचाई विभाग को जो इम्पोर्टेन्स दी गई है वह सराहनीय है। केन्द्र से भी सिंचाई के कार्य में काफ़ी मदद मिली है। यह जो बिल रखा गया है उसके स्टेटमेन्ट आफ़ ऑबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण) को पढ़ने से मालूम होताहै कि इसको रखने में सरकार की क्या नीति है। इस नीति को हरएक आदमी पसन्द करेगा। इरिगेशन को राजस्थान में बढ़ाने के लिये बहुत गुन्जाइश है। मेवाड़ में इसके लिये काफी गुंजायश है। मेवाड़ में ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां पर इरिगेशन स्कीम को नहीं चलाया जा सके फिर भी इस बिल को जल्दी में रखा गया है इसलिये इसमें कई खामियां रह गई हैं।

सबसे पहली बात जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं वह है अर्नड इन्कम (earned income) के बारे में। मैं नहीं समझ सका कि अर्नड इन्कम से आपका क्या तात्पर्य है और किस सेन्स में अर्नड इन्कम पैदा होती है? जिनका नेचुरल डेवलपमेन्ट (प्राकृतिक विकास) होता है स्वत: विकास होता है, कहीं पर रेल्वे लाइन खुलने से या और किसी वजह से किसी आदमी के बगैर मेहनत किये किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तब वह अनअर्नड इन्कम कहला सकती है। इरिगेशन के संबन्ध में आप कई तरह के टैक्स लगायेंगे और बहुत मेहनत करने के बाद अगर किसी की आमदनी बढ़ेगी तो वह अनअर्नड इन्कम कैसे होगी। मैं यह मानता हूं कि अपने आप ही समाज के विकास के साथ ही कोई मेहनत नहीं करने पर भी इन्कम बढ़ जाती है; जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी बना और यहां के समाज का विकास होने लगा और यहां के व्यापारियों की आमदनी बढ़ने लगी या यहां की इकोनोमी सुधरी। लेकिन जहां पर लोग मेहनत करेंगे और उसके फलस्वरूप उनकी आमदनी बढ़ेगी और साथ ही सरकार के टैक्स भी बढ़ेंगे तब वैसी हालत में उनकी बढ़ी हुई आमदनी को अनअर्नड इन्कम कैसे कहा जायगा यह सोचने की बात है? उनकी आमदनी बढ़ने के साथ ही साथ उनके एकरेज की रेट बढ़ा दी जायगी, सैटिलमेन्ट के रूप में टैक्स लिया जायगा, वाटर टैक्स लिया जायगा; यहीं पर अंत नहीं हो जायगा; अभी आपने बिल पास किया है कि पंचायतों द्वारा फ़ोर्स्ड लेबर (forced labour)

Page No.60

[श्री भैरूं सिंह]

ली जायगी; इन सब बातों के रहते हुए अनअर्नड इन्कम कैसे होगी, यह समझ में नहीं आया। इससे तो अच्छा होता कि गवर्नमेन्ट यह कहती कि गांववाले लोन लें एक बोडी फ़ोर्म की जाती जिसमें ग्रामीण लोगों के नुमाइन्दे और सरकारी अफ़सर होते और ये लोग मिलकर इरिगेशन के लिये जो कुछ तय करते उसके अनुसार काम किया जाता, यह तो अधिक अच्छा हुआ होता। जब तक इस पर पब्लिक ओपिनियन नहीं लेली जावे तब तक इसे पास करना भूल है। आप इसे पास करना चाहते हैं, पर यह बड़े महत्व का बिल है, इसके लिये इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि इसमें काफ़ी खामियें हैं।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, न्याय विभाग)—I agree with the proposal.

श्री अध्यक्ष—He agrees that the Bill be referred to a Select Committee.

श्री चन्दनमल वैद—The names of the personnel are being considered.

श्री अध्यक्ष—So the motions that the Rajasthan Lands Special Irrigation Charges Bill, 1953, be referred to a Select Committee, the names of the members will be given afterwards.

(विराम)

The question is that the motion be adopted.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Next we come to the consideration of the Rajasthan Agricultural Income-tax Bill, 1952. Clause 4.

(विराम)

Shri Bhim Singh.

श्री भीमसिंह—क्लॉज ४ का जो प्रोवीजन है उसके बारे में मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है। फ़र्स्ट प्रोवीजो में ५२ का फ़िगर दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि इस बिल के कमेन्समेन्ट के एप्लीकेबिल होने का फ़िगर '५२' दिया हुआ है उसकी बजाय '५३' होना चाहिये। क्योंकि जिस वक्त यह बिल पेश हुआ था उस वक्त सन् ५२ था और उस अर्से को आज क़रीब-क़रीब १२ महीने होने को आये हैं। इस बिल में शुरू में क्लॉज १ में '५२' दिया हुआ था और उसको सिलेक्ट कमेटी ने बदल दिया। इस '५२' के होते हुए भी इसमें लिखा हुआ था: "Applicable from previous year" यह

श्री भीमसिंह]
स्पेशल प्रोवीज़न रखा हुआ था। अगर आप इसके वर्डिंग्ज का मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे तो इसमें साफ़ है कि—

"Provided that the tax at the rate or rates specified in the First Schedule shall be charged on the total agricultural income accruing to every person during the financial year commencing on the 1st April, 1952."

जब कि यह ५२ से ही लागू होता और ५२ से ही चार्ज किया जाता तो इस से साफ़ ज़ाहिर होता। मगर इस बिल की मंशा है कि पहले वर्ष में रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं हो। जब से बिल चालू हुआ है, जिन लोगों ने काश्त की है क्या उन्हें ख्याल आता कि इस साल के लिये हमें इसके लिये एकाउन्ट रखना पड़ेगा और वह पे (pay) भी करना पड़ेगा, यह एक नामुमकिन चीज़ थी। इस बिल के मातहत काश्त करने वालों को हिसाबात रखना ज़रूरी होता है और टैक्स देने के लिये रकम बचा कर रखनी होती है। जब से यह बिल लागू नहीं होता वह कैसे अन्दाज़ लगा सकते थे कि हमें हिसाब रखना पड़ेगा। '५२' रखने की सूरत में लोग आसानी से कह सकते हैं कि उनको मालूम ही नहीं था, तो ऐसी सूरत में जब कि उनको मालूम ही नहीं था तो एकाउन्ट कैसे रख सकते थे, यह रिडन्डेन्ट (redundant) है। एक वर्ष बीत चुका है। यह स्वाभाविक चीज़ है कि यह बिल ५३ से ही होना चाहिये ताकि यह बिल रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट (retrospective effect) नहीं दे और इस बिल की मंशा के माफ़िक काम हो। संसार में कहीं रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होता।

मैं आशा करता हूं कि मेरे इस अमेन्डमेन्ट पर मन्त्री महोदय विचार करके इसे स्वीकार फ़रमायेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष ११-१० पर पदासीन)

श्री **भोलानाथ**—मैं इसे मन्जूर करता हूं।

श्री **भीमसिंह**—मैं माननीय मन्त्री महोदय को इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

दूसरे प्रोवीज़ो के लिये जो मेरा अमेन्डमेन्ट नम्बर ११ है उसको विद्ड्रा करने की स्वीकृति चाहता हूं। इसमें क्लेरिकल मिस्टेक रह गई है कि ६० एकड़ की बजाय ५० एकड़ कर दिया है और १८० एकड़ की बजाय १५० एकड़ कर दिया है। सिलेक्ट कमेटी में "एरिया" वर्ड के पहले कल्टीवेट वर्ड पास हुआ था, वह भी साफ होना चाहिये।

श्री **उपाध्यक्ष**—ये प्रिन्टिंग मिस्टेक्स (छपाई-त्रुटि) रह गई हैं, इन्हें करेक्ट कर दिया जावे।

श्री **भीमसिंह**—इसके अलावा मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है कि जिस प्रकार क्लॉज़ ४ में शुरुआत में "individual" के बारे में जिक्र किया है उसमें अनडिवाइडेड फेमिली (अविभक्त कुटम्ब) को इन्क्लूड (includ) नहीं किया गया है, जिससे लेंग्वेज एम्बीग्युअस (ambiguous) हो जाती है। इसलिये मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है जो इस प्रकार है:—

"In second proviso to clause 4 in line seventh after the word 'indivinal' and before the word 'whose' the following words be deleted :—

Page No.62

[श्री भीमसिंह]

'or Hindu undivided family'."

यह डिलिट होना वाजिब है ।

क्लॉज़ ४ में इसलिये नहीं रखा है कि बार बार इसका आना वाजिब नहीं । अतः डिलीट करने के लिये निवेदन करता हूं । आशा है मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री भोलानाथ—मैं समझता हूं कि इसके लिये माननीय सदस्य प्रेस नहीं करेंगे । जैसी आपने आशंका प्रकट की है, साफ नहीं है । अगर दिक्कत होगी तो ठीक करने की कोशिश की जायगी । फिलहाल आप इसे प्रेस नहीं करें ।

श्री भीमसिंह—ऐसी सूरत में मैं इसे विदड्रा करने की इजाज़त चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhim Singh to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री भीमसिंह—मैं इस अमेन्डमेन्ट को वापिस लेता हूं ।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन धारा ४ में इस प्रकार है :

"The words and figures 'Rs. 5,000/-' be substituted by 'Rs. 6,000/-' in the third line of Clause 4."

The amended clause will read as :—

"Agricultural income-tax shall be payable by a person whose total agricultural income of the previous year exceeds Rs. 6,000/-........"

श्री भोलानाथ (कृषि मन्त्री)—यह संशोधन भी मुझे स्वीकार है ।

श्री जवानसिंह—धन्यवाद! मेरा दूसरा संशोधन जो मैं इस धारा में पेश करना चाहता हूं वह इस प्रकार है :—

"The figures '1952' be substituted by '1953' at the end of the first proviso to this clause."

श्री भोलानाथ (कृषि मंत्री)—यह तो एक्सेप्ट हो गया है । भीमसिंहजी का संशोधन एक्सेप्ट हो गया है तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती । भीमसिंहजी का कवर नहीं होता तो आपके द्वारा प्रस्तुत संशोधन मन्जूर कर लिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendments that in the first proviso at the end '1952' be substituted by '1953'; and in the second proviso—

(*a*) Seventh line the words 'Cultivated' be inserted between the words 'if the' and 'area of'

(*b*) eight-figures '60' and '180' be substituted for '50' and '150' respectively, by Shri Bhim Singh, as accepted by the Minister Incharge, be adopted.

(स्वीकृत)

Both the amendments are adopted.

(विराम)

Now the question is that the amendment that the words and figures "Rs. 5,000/-" be substituted by "Rs. 6,000/-" in the third line, by Shri Jawan Singh, as accepted by the Minister-in-charge, be adopted.

(स्वीकृत)

The amendment is adopted.

(विराम)

Now the question is that clause 4 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4 as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Now Clause 9. Shri Jawan Singh will move his amendment.

श्री जवानसिंह—अमेन्डमेन्ट लिस्ट वाइज लेने की प्रथा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको पहले मूव कर दूं।

श्री भोलानाथ—आपका पहला अमेन्डमेन्ट नम्बर १६ जो कि (IV) (A) में है वह ठीक है और उसको मन्जूर करता हूं। इसके बाद जब १६ का मतलब ठीक हो जाता है तो १७ भी इससे कवर हो जाता है। इसके अलावा ६ पाई और एक आना ६ पाई का प्रश्न है उसके लिये मैं अपनी तरफ से अमेन्डमेन्ट पेश करूंगा।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जैसी अभी माननीय मन्त्री ने मेरे संशोधन के सम्बन्ध में फरमाया उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि जहां पर ५,०००) रुपये का प्रोवीजन है वहां पर

Page No.64

[श्री जवानसिंह]

माननीय मन्त्रीजी ने ६,०००) रुपये मेरे संशोधन के माफिक मन्जूर कर लिये और दूसरा संशोधन जं रखा है वह अपने आप उससे कवर हो जाता है इसलिये उसको भी मान लिया है। उसके पश्चात् एव और क्लरिकल मिस्टेक रह गई है और वह है एक आना और ६ पाई की। जब हम (Schedule की तरफ देखते हैं तो उस जगह ६ पाई का होना साफ जाहिर होता है। यह या तो क्लरिकल मिस्टे रह गई है या प्रिन्टिंग में मिस्टेक रह गई है वह भी दुरुस्त कर ली जावे।

श्री भोलानाथ—यह संशोधन तो मैं खुद रख रहा हूं। इसको मन्जूर करता हूं। संशोध इस प्रकार है :—

"Substitute 'Six pies' for the words 'one anna nine pies' occuring in 9(b)'

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the amendments of Shri Jawa Singh, as accepted by the Minister Incharge, be adopted.

(स्वीकृत)

The amendments are adopted.

(विराम)

Now the question is that the amendment proposed by the Minister-in-char be adopted.

(स्वीकृत)

The amendment is adopted.

(विराम)

Now the question is that Clause 9, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 9, as amended, is added to the Bill.

श्री उपाध्यक्ष—Chapter 10, Clauses 75 to 78.

श्री भीमसिंह—इस पर मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसको वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhim Sin- to withdraw his amendment.

(स्वीकृत)

अमेण्डमेण्ट को वापिस लेने की आज्ञा दी गई

Page No.65

श्री भीमसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री जवानसिंह—मैं भी अपना अमेन्डमेन्ट प्रेस नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Jawan Singh to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave has been granted.

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री भोलानाथ—इस पर जितने संशोधन थे वे प्रेस नहीं किये गये हैं। वे वापिस ले लिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—So, there are no amendments now in any of the Clauses 75 to 78. So the question is that Clauses 75, 76, 77 and 78 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 75, 76, 77 and 78 stand part of the Bill.

(विराम)

Clause 80.

(खण्ड ८० पारित हो चुका था, इसे पुनः लिया गया)

श्री भोलानाथ—क्लॉज ८० में एक संशोधन और रह गया है :

"Delete the words 'for the development of agriculture' after the words 'Rajasthan Gazette' in the second line of Section 80 and add the following at the end of the Section after the word 'person' :—

'to the extent of such income being utilised for the development of agriculture or of being applied solely to a charitable purpose as defined in Section 4 of the Indian Income Tax Act."

It is a further amendment.

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the Minister Incharge proposes to move one further amendment to Clause 80 which has already been passed. I think is it the leave of the House that the amendment may be proposed now ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

The leave is granted.

Page No.66

श्री भोलानाथ-- I have already proposed the amendment.

अभी तक यह एग्रिकलचर डेवलपमेन्ट के हित के लिये ही था । लेकिन इस अमेन्डमेन्ट के बाद यह चेरिटी के लिये भी फायदेमन्द होगा । इस एक्ट के माफिक गरीबों को मदद मिलेगी और दी है। वह मेडीकल एड के लिये दी गई है। पहले भी इस क्लॉज की मंशा साफ ही थी मगर इससे और ज्यादा साफ हो गई है ।

श्री हिम्मतसिंह अटरू--यह अमेन्डमेन्ट अति उत्तम है और इसको पास किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--The question is that the amendment proposed by the minister-in-charge adopted.

(स्वीकृत)

The amendment is adopted.

(विराम)

The question is that Clause 80, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The Clause, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Now amendments on Schedule II.

श्री भीमसिंह--मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--Is the leave of the House to allow Shri Bhim Singh to withdraw his amendment.

(आज्ञा प्रदान हुई)

Leave is granted.

श्री भीमसिंह--I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष--Any other amendment on this ?

श्री जवानसिंह--I do not want to move.

श्री उपाध्यक्ष--So they are dropped.

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

Now the question is that schedule I stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Schedule I is added to the Bill.

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—मैं आपकी आज्ञा से पुराने शिड्यूल के पार्ट दो में अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

In place of Part II in Schedule, appended to the Bill, the following may be substituted :—

"On the first Rs. 30,000/- of total income	Nil.
On the next Rs. 10,000/- of total income	one anna in the rupee.
,, ,, ,, ,, ,,	One and a half anna in the rupee.
,, ,, ,, ,, ,,	Two annas in the rupee.
,, ,, ,, ,, ,,	Two and a half annas in the rupee.
,, ,, ,, ,, ,,	Three annas in the rupee.
,, Rs. 15,000/- of total income	Three and a half annas in the rupee.
,, ,, ,, ,, ,,	Four annas in the rupee.
,, ,, ,, ,, ,,	Four and a half annas in a rupee.
,, Rs. 30,000/- of total income	Five annas in the rupee.
On the balance of total income	Five and a quarter annas in the rupee".

श्री उपाध्यक्ष—The question is that............

श्री जवानसिंह—Sir, what is the amendment ?

श्री हिम्मतसिंह कटरू—चेयरमेन साहब के पास जो कॉपी है उसमें वह नहीं है। दूसरी कापी है जिसमें शायद यह अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—(संशोधन पठन के पश्चात)

The question is that the amendment proposed by the Minister-in-charge in part II of the Schedule be adopted.

(स्वीकृत)

The amendment is adopted.

(विराम)

Now the question is that the Schedule Part II, as amended, be adopted.

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

Schedule Part II, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

Clause I, Any Amendment ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—There is an amendment to Clause 1 sub-clause (3) at the end.

श्री भीमसिंह—क्लॉज १ में मैंने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह इस प्रकार है :—

"At the end of sub-clause (3) of clause 1, the following be substituted for figures '1952' :—

"1953".

यह जो अमेन्डमेन्ट है वह भी जैसा मैंने पहले अर्ज किया था वैसा ही है ।

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—आप तकलीफ न करें । मुझे यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—So the question is that the amendment proposed by Shri Bhim Singh be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is adopted.

(विराम)

Now, the question is that Clause 1, title, preamble and the enacting formula, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1, title, preamble and the enacting formula as amended, are added to the Bill.

श्री भोलानाथ (कृषि मंत्री)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move that the Bill be passed.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

The question is that the Rajasthan Agricultural income- tax Bill, 1953, as amended, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill, as amended, is passed.

(विराम)

I announce the list of Members of the Select Committee on the Bill regarding District Boards :—

1. The Member-in-charge.
2. Shri Kumbha Ram,
3. Shri Kishanlal Shah.
4. Shri Roshan Lal.
5. Shri Damodar Vyas.
6. Shri Khet Singh.
7. Shri Durlabh Singh.
8. Shri Hansraj.
9. Shri Hari Shanker Siddhant Shastri.
10. Shri Dalip Singh.
11. Shri Narayan Chaturvedi.
12. Shri Bhairon Singh of Khejarla.
13. Shri Bhairon Singh of Khachariawas.
14. Shri Rawat Man Singh.
15. Shri Bhim Singh of Mandawa.
16. Shri Jawan Singh.
17. Shri Sajjan Singh.
18. Shri Raja Pratap Singh of Beedasar.
19. Shri Raja Himmat Singh.
20. Shri Tej Mal Bapna.
21. The Advocate-General.

Is it the leave of the House that the personnel be accepted as announced ?

(आज्ञा प्रदान हुई)

The motion is accepted.

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

As today's business is complete, I thank the Members and we shall again meet on Monday to discuss private Members' resolutions. Time ? (विराम). We can continue as heretofore ? The present time continues.

(सदन की कार्यवाही ११.४५ पर दिनांक २७-४-५३ के ८.१५ प्रातः तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
२४-४-५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न संख्या १०७

श्री मनफूलसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सूरतगढ़ में ६० गायें पाकिस्तान ले जाती हुई पकड़ी गई हैं ?

(२) इस मामले में गायों को ले जाते हुए क्या चार आदमी पकड़े गये हैं ?

(३) क्या इसमें इन चार आदमियों के अतिरिक्त अन्य कई लोगों का हाथ भी है, जिन्होंने गायों को पाकिस्तान भेजने का व्यापार चला रखा है ?

(४) अगर ऐसा है तो क्यों ?

(५) क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिये तैयार है ?

(६) अगर है तो कब तक ?

(७) इस मामले की जानकारी ए. सी. हनुमानगढ़ से शीघ्र मिल सकती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, केवल दो आदमी पकड़े गये।

(३) क्योंकि जांच हो रही है अतः और अधिक सूचना देना सार्वजनिक हित में हितकर नहीं होगा।

(४) उत्पन्न नहीं होता।

(५) दोनों आदमियों को जिनको कि गिरफ्तार किया गया था २ साल की सख्त कैद और ५००) रुपये जुर्माना की सजा दी गई है।

(६) उत्पन्न नहीं होता।

(७) उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३२३ व ६२५ का उत्तर देखिये)

Under the Indo-U.S. Technical Co-operation Agreement entered into between India and the United States of America, American financial assistance has been made available for speeding up Development Projects in India. Out of the 55 Projects launched in India, the Government of India allotted 2 Projects and 1 Block to Rajasthan. In order that the benefits accruing from the scheme may be spread over to as large an area as possible, the Government of Rajasthan split the two projects and one block into seven blocks. One block has been allotted to each of the five Division and there are two special blocks, one for Displaced Harijans at Alwar (Jaipur Division) and the other for backward Bhil classes at Dungarpur (Udaipur Division) as under :—

Name of Block.	*Location of Block.*	*Block Head-quarters.*
1. Alwar	(Displaced persons & Harijans Block) Jaipur Division, District Alwar, Tehsils Alwar, Kishangarh and Tijara.	Alwar.
2. Baran	Kotah Division, District Kotah, Tehsils Baran, Atru and Mangroli	Baran.
3. Dungarpur	(Scheduled Tribes Blocks) Udaipur Division, District Dungarpur Tehsil Dungarpur	Dungarpur.
4. Hindaun	Jaipur Division, District Sawai Madhopur, Tehsils Hindaun, Toda Bhim and Mahuwa	Hindaun.
5. Raisinghnagar	Bikaner Division, District Ganganagar, Tehsils Raisinghnagar and Anoopgarh	Raisinghnagar
6. Rajsamand	Udaipur Division, District Udaipur, Tehsils Rajsamand and Railmagara	Rajsamand.
7. Sumerpur	Jodhpur Division, Districts Pali and Jalore, Tehsils Pali and Jalore	Sumerpur.

2. In pursuance of the recommendations of the Central Committee for setting up an organisation for the effective and speedy execution of programme under this scheme, a Development Committee at State Level consisting of the following has been constituted :—

1. Chief Minister.
2. Minister for Revenue & Agriculture.

3. Minister for Irrigation.
4. Minister for Finance.
5. Counseller.
6. Planning Secretary.
7. Director of Development.

3. At the District level, there are District Development Committees with the Commissioner of the Division concerned as Chairman and Collector of the District concerned as Secretary. The Collectors of the Districts where projects have been intimated are Ex-officio District Development Officers.

4. At the Project level, there is a Project Advisory Committee with the Collector as Chairman and the Project Executive Officer as Secretary. This Committe includes, besides the principal officials concerned, public workers, representatives of agriculturists, the Chairman of the District Board and the members of the State Legislature etc.

5. The Administrative set up for carrying out the Community Project Schemes in Rajasthan consists of:—

Development Commissioner (Planning Secretary)
Director of Development
District Development Officer
Project Executive Officer
assisted by
Agriculture Officers, Medical Officers ,Overseers, Social Education Organisers, Village Level Workers (1 for 5 villages).

6. The special block at Alwar has been placed under a Development Executive Board presided over by Shrimati Mata Rameshwari Nehru.

7. The 7 Community Development blocks cover 1043 villages, an area of over 2000 sq. miles and a population of about 6 lacs. The felt needs of the people have been allocated to the various blocks under various heads with due weightage to the various schemes according to the felt needs of the people. The budget expenditure approved by the Community Projects Administration, New Delhi is Rs. 125.38 lacs for the trenniem ending 1954-55.

8. The Community Projects programmes was inaugurated in Rajasthan as an other parts of India, on the 2nd October, 1952 by the State Ministers, the Ministers explained to the large masses the significance of the Community Projects Scheme. The progamme commenced simultaneously at all the blocks with manual labour programmes such as construction of approach roads, clearance

of shrubs, digging of manure pits, plantation of tress, spinning of Khadi and general village cleanliness. The villagers were also invited to speak on the occasion. Exhibitions and Melas were organised showing the activities of Agriculture. Adult Education and Medical and Health Departments, cattle shows, baby shows and camp fires were also held.

9. The following is an account of the progress made upto the end of February, 1953.

(A) Agriculture & animal Husbandry

Rat eradication and white ant control measures were undertaken in 120 acres of land. 855 entries were obtained for Crop Competition. 2530 manure pits were dug. About 800 Mds. of quality seed was distributed to cultivaters on cash payment basis. About 150 Mds. of Ammonium Sulphate and 10 Mds. Super Phosphate was also distributed to cultivators. 7 Fodder cutters and 4 Triphalies were supplied to cultivaters. 250 trees were planted, 15 Bulls were castrated.

(B). Irrigation.

In all, 565 fields covering an area of 300 acres were bunded. 4 new tube wells were sunk. The construction of 5 minor tanks has been taken up, the earth work at 2 tanks has been completed and the progress at the remaining 3 tanks is being maintained. The total earth work completed so far comes to 4,65,000 cu.ft. of this 2,00,000 cu. ft. is free contribution. 2 irrigation wells have been dug and 102 more Kaccha and Pakka wells are under construction and repair. 11 Pumping sets have been installed. Two canales were repaired. One feeder canal was constructed.

(C) Reclaimation.

An area of 115 acres of Virgin land has been reclaimed so far.

(D) Health & Rural, Sanitation.

(*i*) A continous claeanliness campaign has been organised in all the blocks. Cleanliness compititions are being held and a flag is awarded to the cleanest village of each block every quarter. During his inspection, Shri S.K. Dey, Administrator, Community Projects Administration declared Nalka, a village in the Baran Development Block to be a village with the cleanest houses in India. A draingage trench, 55 soak pits and 190 urinal pits have been dug so far. One vegetable garden and one children's park has been laid out. 297 ventilators have been provided in houses in various villages.

(*ii*) *Drinking water supply.*—16 drinking water wells have been cleaned. 5 Diggis, 4 drinking water wells and 2 water reservoirs have been constructed, 14 wells have been repaired and deepend. One cattle pond is under construction.

(E) **Education.**

The education department has issued a circular asking all heads of educational institutions to encourage regular and continuous employment of students in constructive activities. On the occasion of the 63rd birthday of Shri Jawahar Lal Nehru a suggestion was received from the Community Projects Administration to present to him school buildings constructed by the villagers and accordingly Rajasthan State contributed 67 schools out of 314 presented by the whole India, the contribution of Rajasthan being the largest. The villagers have promissed to construct school buildings. It is intended to organise them into basic schools. They have been designated as Jawahar Bal Mandirs.

Out of these 60 have stated functioning with a total of 2002 students. 8 more schools have been opened with 207 students. One girl School with 40 students has also been opened. A sum of Rs. 20,509/- as donation has been received for the construction of School buildings. Gifts of 30,000 bricks, 225 cartlods of stoneslabs and 'land' measuring 350'x350' costing about Rs. 3,000/- have also been received for School buildings. 2 School buildings are under construction.

(F) Social Education.

33 Adult education centres have been opened where 856 adults are receiving education. Two female adult centres have also been opened, 76 Vikas Mandals (Developments Committees) have been formed. One branch of youth league has been started. 7 Libraries have been opened. Sports and recreation clubs are being formed. People have raised funds and purchased harmoniums, tables, dholaks etc. for their evening recreation. 100 small villages meetings were organised where lectures, bhajans, kirtans, kathas, folk dances, dramas etc. were conducted. At Doongarpur, a new system of teaching alphabet (Read while work) has been evolved to accelerate adult literacy. The initial alphabates of the names of workers inscribed on discs are prominenly worn by them to enable their fellow workers to learn them without effort. The same are also being inscribed on discs are to be worn by the cattle. The homes of the occupants of the houses are being written on the walls in order of seniorty in the house-hold to enable shephered boys and ladies in the houses respectively to pick up the alphabet without effort. It is proposed to use walls as boards by inscribing slogans and news upon them.

(*g*) Communication.

About 20 Miles of fair weather road has been constructed.

(*h*) Rural, Arts, Crafts & Industries.

For conducting the work of khadi, 13 charkhas (Spinning wheels) were distributed. The industries of Moonj, soap making and iron smithy are being organised on Co-operative societies have been formed.

Ford Foundation Training Centre, Chattarpura (Kotah)

10. In order to make available the required number of trained multi-purpose workers to carry out such a comprehensive and multi-directional programme, a Training Centre has been established at Chhattarpura (Kotah) under the Ford Foundation Grant. It was opened on the 14th November, 1952 the birth day of Shri Jawahar Lal Nehru. The formal inauguration ceremoney was performed by His Highness the Uprajparmukh of Rajasthan on 26-11-52. The Government have placed a spacious building and form of 125 acres at the disposal of the Training Centre.

11. The present course will last upto April, 1953. Thereafter the trainees will go out their respective blocks and take up actual development work in time for the sowing of the "Kharif" crop of 1953. During their stay at the Centre the trainees are being instructed in the use of improved agricultural machinery and other scientific practice such as crop rotation, treatment of seed before sowing, improved methods of grain storage, laying of fruits orchards, control of crop pests, preparation of common forms of insecticides and fungicides. A comprehensive syllabus in agricultural and vaterinary work, animal husbandary, co-operation, rural hygiene, construction of roads and bunds and other aspects of rural development has been drawn up for the trainees. They are also being trained in the use of Indian and English medicines used for vaterinary purposes. A four year period is at present envisaged for the scheme.

12. At present there are 64 trainees on the roll. Shri I.S. Sharma, Dy. Director of Agriculture, has been appointed as the Principal of the training of the Centre. Shri T. C. Kala, Deputy Director of Agriculture who has recently returned from U.S.A. and Japan after advanced training in Agriculture Extension is the Technical Director of the Training Centre.

13. Officers from Public Health (2) Vaterinary (1) Co-operative (1) Agriculture (2) P.W.D. (2) and Education (2) Departments have been deputed to join the staff of the Training Centre.

14. The trainees have been divided into teams according to the Districts from which they have been drawn and each team has been allotted a village in the neighbourhood for active development work. One officer has been placed incharge of each team.

15. 'Self Help' is the moto of the trainees who run their own co-operative mess, clean their own utensils and organise their own activities. No spoon feeding is encouraged and most of the problems rising from day to day are solved by them.

16. For the first two years the entries cost of the Training Centre will be met by the Ford Foundation, 1/2 in the 3rd year 1/3 in the fourth year.

17. It is hoped that the trainees who would come out of this Training Centre will faithfully serve the villages placed under their charges. Shri Jai Narain Vyas,

Chief Minister, Rajasthan sent the following message to the village level workers assembled for training at the Ford Foundation Training Centre at Chattarpura (Kotah) on the day of its inaguration:—

"I wish you all success and hope that you will set in motion a chain reaction of Developmental activities and the movement will grow into self perpetuating force. The villages today need a shock treatment so that they may grow and prosper and recapture their glorious past into a still more glorious future.

Peoples active participation is the crux of the Community Project Scheme as I understand it and I hope the men who go out of this institution will endeavour to obtain it in the maximum degree and thus pave the way to a new and Prosperous Rajasthan."

18. Role of Panchayats, Co-operative Societies, & Bahrat Sewak Samiti

It will be appreciated that if the project scheme have to generate popular enthusiasm and have to be implemented by the people as their own schemes, they must be tailor, made and not standarised. Each project has to fit properly each village and to achieve this end, steps are being taken to establish Panchayats multi purpose cooperative societies and Gram Sevak Samajas (Bharat) in all the villages. It will be appreciated that Panchayats can undertake:—

(1) to supply the common wants of the village community, such as water for the community and the cattle, maintenance of roads, tanks, tanks and bathing ghats;

(2) to supervise public institutions, e.g. Dharamshala, village Chopal, places of worship, care of villages pastures etc.

(3) to improve the aminities of village life, e.g. establishment of village liabraries, public gardens, village dispensaries, physical culture classes, setting up of a village radio, provision of play grounds, planting of trees for shade and fruits, creation of village wood lands, removing of housings congestion, extensoin of the village site, lighting of streets etc.

(4) to provide for sanitation, e.g. filling up of stagnant pools of water, purification of drinking water, provision of drain cleaning of village sites etc.

Evidently there is a tremendous scope for improvements of villages through Panchayats if they are revitalized in the above manner and undertake a comprehensive programme. It may not be possible to find proper material in every village and a large number of them will content themselves with carrying out only some of the more elementary duties. Even this need not however be deprecited as the working of a panchayat, however imperfect it may be, is by itself education in self-government and common action. In this connection it has also been decided that the loans advanced to cultivators should wherever possible be made through approved cooperative societies. In as much as village level workers will assist Panchayats and cooperative organisation, there will be a saving to the community in the cost of running these institutions.

19. In Rajasthan, it has been decided to award a rainbow colour co-operative—flag to the most sanitary village every quarter in each block. There are 4 scared dates in the Development calander namely :—

2nd October	.. .. ..	Mahatma Gandhi's birthday.
26th January	.. .. ..	Republic Day.
30th March	.. .. ..	Rajasthan Day.
15th August	.. .. ..	Independence Day.

It has been decided to old melas on these dates and to distribute prizes for the cleanest village, best crops, healthy children, sports etc.

20. A description of the celebrations and project Melas held on the 26th January, 1953 in various blocks is given below:—

"The Republic day was celebrated in Baran, Dungarpur, Raisinghnagar, Rajsamand and Sumerpur blocks with great enthusiasm. The function started in these blocks with Prabhat Pheries in the morning followed by Flag hoisting, mass cleaning, digging of compost pits and village road making. Flag hoisting ceremonies at Dungarpur and Thaha were performed by Shri Bhogi Lal Pandya, Irrigation and Civil Supplies Minister. He addressed a meeting of over 1000 peoples at Siyaldari also where a tank is under construction. This programme continued upto 2 P.M. Thereafter cattle shows, baby shows and agricultural exhibitions on improved seeds, fertilizers and implements and anti pests were arranged. At Rajsamand Shri Lehru Jat of village Sanspura who brought the best bullock pair was awarded an improved type of iron charas. Shri Ganesh Jat of the same village received an iron "Kothi" for storing grain as second prize and Shri Kazod Kummawat and Shri Onkar Jat both of village Railmagra (Rajsamand) were awarded a feeding trough and a "Pagri" respectively as third and fourth prizes. The agriculturists from Sumerpur and Bora (Sumerpur) exhibited their best specimens of wheat, papita, potatoes and other vegetables produced in other forms which attracted the attention of large crowds. The Jawai River Project authorities exhibited a miniature model of the Jawai River Project and the Public Works Department (Sumerpur) displayed charts showing the roads to come accordingly to the Nagpur Plan and various designs of rural houses and road signs. This programme continued upto 5 P.M. In the evening school sports *viz.* Volley-ball, Football and Kabaddi matches, 100 yds. race, 3 legged race, high jump and long jump ; village sports *viz.* pick-a-back race, jalebi race, chatty race, plough race, bullock carts race, Tug of war, spoon races, folk dances and meetings were arranged almost at all the centres of Village Level Workers and Jawahar Bal Mandirs and the winners were awarded prizes. To make the programme more interesting and attractive the guests also participated in the musical chairs race at Rajsamand, in which Shri Amrit Lal Yadav, Minister for Relief & Rehabilitation stood first. He also delivered a speech in largely attended public meeting, explaining to the people the importance and concept of the Community Projects Scheme. In the night Cinema shows were organised at Baran and Rajsamand by the Medical & Health Department, in which films on communicable diseases and their control, cleanliness and personnel hygiene, girl guides, schools and doctors in the U.S.A. were shown to people from 8 P.M. to 9-30 P.M. Every thing

was explained to them side by side. Project Melas were also held at villages Naiks (Baran Block) Siyaldari (Dungarpur Block) and Relmagra (Rajsamand Block) where the agriculture, Veterinary, Medical health and Ayurvedic Department organised their exhibitions, 15,000 to 20,000 persons participated in the fairs.

21. It will be seen from the above report that in the implementation of these works the peoples contribution has been satisfactory in the State, a Shramdan movement has been started and it is expected that every single individual would join in this movement. Not only voluntary labour for the various project schemes has been forthcoming but also a part of the expenditure to be incurred on them as well. Not only villagers but also the white-collar workers and prominent citizens have shown great enthusiasm for development schemes. Undoubtedly it is hertining to witness the symptoms of popular efforts and departmental collaboration which are gradually appearing on the surface. Initial mistrust is vanishing. High and low are coming forward to contribute their mite in the construction of village schools, village roads, pathways and channals. Manure pits are being dug and regular compaigns to ensure environmental sanitation are also being organised.

22. It must be clearly understood that this task required joint consultation and collaboration of all the beneficent of the Government. In the absence of precedents novel methods of inter-departmental contact are being improvised. It was fortunate that most of the beneficent departments were centralised in the Planning Secretary who has also been appointed the Development Commissioner for the State of Rajasthan and this has facilitated inter-departmental collaboration. The process however continues and it is hoped that very soon complete co-ordination will be achieved in respect of all the departments and at all levels.

Page No.80

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६२६ का उत्तर देखिये)

		Budget Provision	*Actual upto* 31-12-52
A. Non-recurring (Capital).			
1. Repairs etc.	..	50,000	
2. Equipment Plant & Material	..	50,000	330-10-0
3. Transport equipment ..	..	20,000	..
4. Miscellaneous	..	10,000	..
		1,30,000	330-10-0
B. Recurring (Staff & Training).			
1. Pay of Officers	..	1,45,800	676-2-0
2. Pay of Establishment ..	..	35,568	..
3. Class IV Servants	..	8,904	..
Farm Staff.			
4. Pay of Establishment ..	..	10,992	..
5. Class IV Servants	..	8,904	..
6. Allowances & Honoraria ..	..	2,21,600	1101-6-0
7. Training Aids	..	74,000	319-4-3
		4,75,768 or 4,75,800	2096-12-3
C. Other charges.			
		49,000	153-1-0
TOTAL	..	6,54,800	2580-7-3